राजस्थान विधान सभा

सप्तम बैठक, दिनांक ९ सितम्बर, १९५३

सदन का कार्य ८ बज कर ३२ मिनिट पर प्रारम्भ हुआ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ७७

श्री अध्यक्ष—श्री एच. के. व्यास।

श्री राज हिम्मतसिंह—Behind the bars.

श्री अध्यक्ष—But the Minister, if he thinks it in public interest, can give the answer.

I do not force him to reply. But I invite his attention to Rule 41 which says—

"If on a question being called it is not asked either by the member giving notice of it or in his absence by any other member on his behalf the Minister concerned may cause the answer to be printed in the official report of the Debates of the Assembly, unless the Speaker at the request of the Minister concerned permits that the answer to it be given in the Assembly on the ground of public interest."

So it is his discretion.

श्री भोगीलाल पंड्या (नागरिक रसद मंत्री)—I am prepared to answer.

(श्री एच० के० व्यास का प्रश्न)

Will the Minister for Civil Supplies be pleased to answer :—

(*a*) Is it a fact that 25,000 maunds of Gojra (Mixture of wheat and jow) were sold by the Government to one Prakash & Co. ?

(*b*) Is it a fact that the Government never informed other traders of the Government's desire to sell the Gojra ?

Page No.2

[श्री एच. के. व्यास]

(*c*) Is it a fact that the above Company was allowed 5% commission ?

(*d*) Is it a fact that allowance of commission in such matters is something unprecedented ?

(*e*) If the answer to (*c*) is in affirmative, then, for what reasons was the commission allowed ?

(*f*) Is it a fact that the Gojra was exported out of Rajasthan and even the R/R was prepared at and from the Government godown itself ?

(*g*) Is it a fact that the goods sold under the category of Gojra (mixture of wheat and jow) was actually 80% wheat ?

(*h*) Why this special favour with the said Company ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—(*a*) No.

(*b*),(*c*), (*d*), (*e*), (*f*), (*g*), and (*h*). The question does not arise.

(विरोधी दल की ओर से हँसी)

प्रश्न संख्या ७८

श्री अध्यक्ष—श्री रोशनलाल शर्मा।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७९

श्री खेतसिंह—Will the Minister for Rehabilitation be pleased to reply:—

What steps have been taken for the absorption of the staff, who has joined the Rehabilitation Department prior to merger & integration of the former States of Rajasthan?

श्री अमृतलाल यादव (पुनःसंस्थापन मंत्री)—They are still continuing in Government service. So this question does not arise.

प्रश्न संख्या ८०-८१

श्री अध्यक्ष—श्री रोशन लाल शर्मा।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Page No.3

प्रश्न संख्या ८२

श्री खेतसिंह--Will the Minister for Rehabilitation be pleased to answer:--

(*a*) Is it a fact that the staff of the Rehabilitation Department is not getting the annual increments for the last five years ?

(*b*) If so, why ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनः संस्थापन मंत्री)--(*a*) As the Rehabilitation Department was temporary and was expected to last only for a short period, no pay scales were prescribed for the posts in this Department.

(*b*) Government have now decided to apply appropriate pay scales and action is being taken to fix the pay of the staff in such scales.

श्री खेतसिंह--पहले आपने कहा कि नौकरी में है सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी तरफ आप यह कहते हैं कि वे टेम्पोरेरी हैं। आखिर आपने उनके भविष्य के लिये क्या सोचा है ?

श्री अमृतलाल यादव--जो अस्थाई सेवाओं में हैं उनका प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने मेरे प्रश्न (बी) के उत्तर में बताया है, आपने उसको ध्यान से सुनने की कोशिश नहीं की है। उसमें मैंने बतलाया और निवेदन किया है Appropriate pay scale के लिये सरकार विचार कर रही है।

श्री जसवन्तसिंह--क्या रिहेबिलिटेशन विभाग में परमानेण्ट सर्विसेज़ की तरफ से भी कोई मुलाजिम काम कर रहे हैं ?

श्री अमृतलाल यादव--हो सकता है। मगर इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री जसवन्तसिंह--क्या उनको भी ग्रेड इन्क्रीमेण्ट दी जाती है ?

श्री अमृतलाल यादव--इस टेम्पोरेरी डिपार्टमेण्ट में दूसरे विभागों से जो परमानेण्ट व्यक्ति आये हुए हैं उनको बाकायदा तरक्की मिलती है।

मे० आपजी रघुराजसिंह--परमानेण्ट व्यक्तियों को तो ग्रेड इन्क्रीमेण्ट मिलती होगी।

श्री अमृतलाल यादव--जी हां।

प्रश्न संख्या ८३

श्री संतोषसिंह कछवाहा (१३६)--क्या सिचाई विभाग के मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या सरकार को यह मालूम है कि पिछले वर्ष जसवन्त सागर (पिचियाक) बन्ध के पानी के बटवारे का तनाजा गांव भा[illegible] दूसरे गांवों के बीच में बहुत हद तक बढ़ गया था ?

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

(२) क्या सरकार ने जोधपुर कलेक्टर के निर्णय (Award) को कार्यान्वित किया, और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(३) क्या सरकार इस वर्ष समय से पूर्व करीबन २-२।। महीने पहिले ही से इस संकट से बचने की कोई योजना बना रही है ? अगर बना रही है तो क्या और नहीं तो क्यों नहीं ?

(४) क्या सरकार इस वर्ष भी सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के जरिये बंटवारा करायेगी अथवा उन गांवों के लोगों की राय (सलाह) लेकर सब को वास्तविक हिस्सेवार सिंचाई के पानी को वितीर्ण करायेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या (मंत्री, सिंचाई विभाग)--(१) हां।

(२) कलेक्टर साहब के निर्णय (Award) को सरकार ने अच्छी तरह से देख भाल की और उसमें कुछ संशोधन किया जिसमें कि पानी सब लोगों को उचित तरह से बांटा जा सके।

(३) सरकार इस पर विचार कर रही है और फैसला वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर किया जायगा।

(४) पिछले साल सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मनमानी नहीं की थी, सरकार की आज्ञा का पालन किया था। इस साल भी पानी का बंटवारा सब बातें सोच कर किया जायगा।

श्री संतोषसिंह कछवाहा--सरकार पानी का बंटवारा बराबर करेगी, मगर पहले भी १५ मील तक पानी नहीं पहुंचा तो इस साल क्या सरकार को वहां पानी पहुंचने की उम्मीद है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--मैं अपने उत्तर में पहले ही बतला चुका हूं कि वर्षा ऋतु के खतम होते ही मालूम हो जावेगा कि वहां पानी पहुंच सकेगा या नहीं।

श्री संतोषसिंह कछवाहा--अभी वहां कितना पानी आया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--अभी तो पानी आने की और उम्मीद है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा--अभी इस समय उसमें १४ फीट पानी है। यदि वर्षा होगी तो एक दो फीट पानी और आ जायेगा और १६ फीट हो जावेगा। पहले भी १५ फीट पानी था उस समय भी पानी १५ मील नहीं पहुंचा तो अब क्या पहुंच जावेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या--मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर पता चलेगा। न मालूम कितना पानी आ सकता है ? परमात्मा की गति विधि बहुत निराली है। जब नागौर में ३१ इंच वर्षा हो सकती है तो इसमें भी पानी आ सकता है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा--क्या हम इस साल आशा करें कि कोई टंटा नहीं होगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या--टंटे का सवाल ही नहीं उठता है। वर्षा खतम होते ही इसका प्रबन्ध किया जायगा।

श्री कानसिंह (६६)--क्या वर्षा खतम होने की कोई तारीख मुकर्रर है ?

Page No.5

श्री भोगीलाल पंड्या —मैं पहले ही बता चुका हूं ।

ठा० श्री भैरूँसिंह (१२)—(ख) कितने वर्षों से ये झगड़े चलते आ रहे हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या —यह जोधपुर सरकार के जमाने से चले आ रहे हैं। कई निर्णय करने पड़े हैं।

श्री भैरूँसिंह (१२)—क्या सरकार ने इस संबंध के कागजात कलेक्टर के पास भेजे थे ?

श्री भोगीलाल पंड्या —मैंने पहले कह दिया था कि कलेक्टर के पास निर्णय के लिये सरकार ने कागजात भेजे थे। उस पर सरकार ने विचार किया और उसमें कुछ संशोधन किये।

श्री भैरूँसिंह (१२)—क्या वह फैसला नाकिस हो गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या —नहीं, इस सम्बन्ध में मैंने पहले बताया कि कलेक्टर के पास एवार्ड के लिये भेजा गया।

श्री भैरूँसिंह (१२)—क्या सरकार हर साल फैसला करती रहेगी या हमेशा के लिये इसका तस्फिया करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या —इसके लिये अलग कमेटी बना दी गई है। अगर समझ सके तो हमेशा के लिये फैसला कर लिया जावेगा। गत वर्ष मेरे मित्र ने कहा था कि लोग बार बार लाठियें और तलवारें लेकर आ जाते थे, यह ठीक नहीं। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि....

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु —कितना रकबा तजवीज किया गया जिसको इस बन्ध से पानी मिलेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या —मैं माननीय मित्र को निवेदन करना चाहूंगा कि यहां इस बन्ध से नहरी इलाके की तरह पानी नहीं बांटा जाता है। जिस वक्त बंध बना था उसके पश्चात् इसमें काफी मिट्टी आ गई है। इसमें बरसात के बाद पानी कितना रह जाता है उसको देख कर ही फैसला करना पड़ेगा।

श्री गुरुदयालसिंह—क्या बन्ध से रकबे के लिए पानी नहीं अलॉट किया जाता है ? मेरे कहने का मतलब यह है कि कितने रकबे को कितना पानी दिया जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं माननीय मित्र को बता चुका हूं कि नहरी इलाके में जिस तरह से एक एकड़ के लिये पानी नियत किया जाता है वैसा यहां पर नहीं है। कभी तीन पानी, कभी चार पानी और कभी पांच पानी दिया जाता है। पानी उसमें जितना होता है उसको देखकर ही पानी दिया जाता है।

श्री कानसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास कोई प्रमाणित सोल्युशन (हल) है या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सोल्यूशन (हल) है क्यों नहीं। परमानेन्ट सोल्युशन के लिये भी सरकार व्यवस्था कर रही है।

Page No.6

श्री संतोषसिंह कछवाहा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब गेहूं बोने का समय आ जायगा और बरसात हो रही होगी तो पानी का बंटवारा किस प्रकार होगा ? यदि पानी का बंटवारा नहीं होगा तो फिर वे ही तलवारें चलेंगी। गेहूं बोने के पहले पानी दे दिया जाय, क्या इस प्रकार की व्यवस्था वे कर सकेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या--इसके संबंध में मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था। वही प्रश्न बार-बार उठाया जा रहा है। जब बरसात समाप्त होगी और बन्ध में पानी होगा तो उसका बंटवारा किया जावेगा। गेहूं दिसम्बर महीने में बोये जाते हैं और बरसात नवम्बर में ही समाप्त हो जाया करती है। अतः पानी देने के लिये सर्दी के लिये थोड़ा ही वेट किया जाता है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि गेहूं बोने के पहले ही पानी का बंटवारा हो जायगा।

मेजर आपजी रघुराजसिंह--क्या इस विषय में और कोई शिकायत सरकार के सामने आई है ?

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--क्या पानी की कोई केपेसिटी नहीं मुकर्रर की जाती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--नहीं, मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है।

मेजर आपजी रघुराजसिंह--शिकायत अगर लाई जाय तो क्या आप विचार करेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या--इस प्रकार का प्रश्न करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है। सरकार के पास जो मामले आते हैं उनका शीघ्र ही फैसला कर दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट, श्री संतोषसिंह कछवाहा।

प्रश्न संख्या ८४ (५/आर.आर.एग)

श्री संतोषसिंह कछवाहा--क्या सहकारी विभाग के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार राजस्थान के एकीकरण के पहिले सन् १९४६ ई० में किस स्टेट में किस पोस्ट पर कितने रुपये माहवार की नौकरी पर थे ?

(२) राजस्थान के एकीकरण के वक्त सन् १९४८-४९ ई० में इनको राजस्थान में किस पोस्ट व ग्रेड में और किस विभाग में कितने रुपये माहवार पर रखा गया ?

(३) सन् १९४८ ई० से सन् १९५३ ई० तक इनकी सर्विस का ग्रेड कितनी दफा किस किस तारीख को किस किस ग्रेड में कितने कितने रुपये से बढ़ाया गया ?

(४) इस समय परमानेन्ट रजिस्ट्रार हैं या टेम्परेरी ?

(५) अब इनको कितने रुपये माहवार तनख्वाह और रोजाना का भत्ता, सफर खर्च, मकान किराया, मोटर अलाउन्स, वगैरह क्या मिलता है ?

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

(६) इनको डेनमार्क भेजने का क्या प्रयोजन है ?

(७) वे किस गवर्नमेंट के खर्चे पर भेजे गये, व टी.ए., डी.ए. व तनख्वाह के कुल कितने रुपये सरकार को इस सफर में खर्च करने पड़े ?

श्री अमृतलाल यादव (मंत्री, सहकारी विभाग)--(१) सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार सन् १९४६ ई० में असिस्टेंट सैक्रेटरी गवर्नमेंट व टैक्सटाइल कमिश्नर के पद पर थे और उस समय इनका वेतन ३४०) था व.२००) ड्यूटी अलाउन्स मिलते थे । इसके बाद तारीख २४ मई, सन् १९४६ से ३१ सितम्बर, सन् १९४६ तक इनका वेतन ६००) रु० माहवार ६००-२५-७००) की ग्रेड में रहा ।

(२) राजस्थान के एकीकरण से पहिले सन् १९४८-४९ में इन्सपैक्टर जनरल लोकल बोडीज तथा सैक्रेटरी लोकल सैल्फ गवर्नमेंट व स्पेशल आफिसर सहकारी विभाग के पद पर थे । उस समय इनका मासिक वेतन ६५०) था और ५०) अलाउन्स के मिलते थे ।

(३) सन् १९४८-४९ में इनका वेतन ६५०) व ५०) अलाउन्स ही मिलते रहे । सन् १९५० से १९५३ तक इन्होंने निम्नलिखित वेतन पाया:--

इसका ग्रेड १ अप्रेल, सन् १९५० से ८००-५०-१२००) किया गया तथा १००) ड्युटी अलाउन्स किया गया ।

१ अप्रेल, सन् १९५० से ३१ मार्च, सन् १९५१ तक ८००) वेतन, १००) ड्युटी अलाउन्स व ५०) मंहगाई ।

१ अप्रेल, सन् १९५१ से ३१ मार्च, सन् १९५२ तक ८५०) वेतन, १००) ड्युटी अलाउन्स व ५० मंहगाई ।

१ अप्रेल, सन् १९५२ से ३१ मार्च, सन् १९५३ तक ९००) वेतन, १००) ड्युटी अलाउन्स व ५०) मंहगाई ।

(४) वे अभी तक ओफीशियेटिंग रजिस्ट्रार हैं ।

(५) इस समय इनका वेतन ९५०) व १००) स्पेशल वेतन है । इनको रोजाना का भत्ता सफर खर्च ७।।) मिलता है । चूंकि मोटर और मकान इनका निजी है इसलिये कोई अलाउन्स नहीं मिलता है ।

(६) आई.एल.ओ. के तत्वावधान में डेनमार्क में सहकारी शिक्षा का आयोजन किया गया है । वहां जाने का खर्चा (टी.ए. व डी.ए.) सब डैनमार्क गवर्नमेंट ही देगी । राजस्थान सरकार को तो केवल जयपुर से देहली तक का ही आने-जाने का खर्चा व मासिक वेतन ही देना पड़ेगा ।

श्री **संतोषसिंह** --क्या यह सही नहीं है कि सन् १९४६ में आपको सीकर स्टेट में १४०) रुपया माहवार वेतन मिलता था ?

Page No.8

श्री अमृतलाल यादव --ऐसी कोई इन्फोर्मेशन मेरे पास नहीं है ।

श्री कंवरलाल जेतिया --क्या यह सही है कि इनसे पूर्व जो रजिस्ट्रार थे उनको समय से पूर्व ही रिटायर कर दिया गया ?

श्री अमृतलाल यादव --यह एक अलग सवाल है जिसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री कानसिंह --इन अफसर साहब की क्या योग्यता है ?

श्री अमृतलाल यादव --ये एम.ए., एल.एल.बी. हैं ।

श्री कंवरलाल जेतिया --मेरा प्रश्न यह था कि इनसे पूर्व जो रजिस्ट्रार थे उनको क्या समय से पूर्व ही रिटायर कर दिया गया ?

श्री अमृतलाल यादव --मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रश्न इस सवाल से संबंध नहीं रखता है अतः आप अलग सवाल करने की कृपा करें ।

श्री संतोषसिंह कछवाहा--अभी बताया गया कि इनकी तनख्वाह ३५०) से ६५०) होगई है । इनकी तनख्वाह थोड़े समय में ही चेन्ज कर दी गई है, तो क्या इस प्रकार से थोड़े २ समय में ही तनख्वाह चेन्ज कर दी जाती है ? इनमें ऐसी क्या विशेषता है ?

श्री अमृतलाल यादव --कुछ न कुछ विशेषता जरूर होगी ।

श्री खेतसिंह --क्या यह सही है कि ये महानुभाव माननीय मंत्रीजी के खास कृपा-पात्र हैं ?

श्री अमृतलाल यादव --माननीय प्रश्न-कर्त्ता भी मेरे खास कृपा-पात्र हैं । (हंसी)

श्री कंवरलाल जेतिया --क्या यह सही है कि मौजूदा रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसी विशेष कारण से हुई है ?

श्री अमृतलाल यादव --जी नहीं, बिल्कुल गलत ।

कंवर श्री जसवन्तसिंह --माननीय मंत्रीजी ने अभी यह बताया कि श्री खेतसिंह जी उनके कृपा-पात्र हैं । श्री खेतसिंहजी को तो एम.एल.ए. होने के नाते २००) रु० वेतन मिल रहा है और ऐसी आशा है कि उनके कृपा पात्र होने के नाते उन्हें भी अधिक वेतन मिल सकेगा ?

श्री अमृतलाल यादव--आपने क्या कहा यह मैंने सुना नहीं ।

श्री अध्यक्ष--Where ignorance is bliss, it is folly to be wise.

कंवर श्री जसवन्तसिंह--मैंने यह पूछा था कि जब आपके कृपा पात्र रजिस्ट्रार को इतने थोड़े समय में ही इतनी अधिक हाइजम्प्स मिले हैं तो जब दूसरे कृपा-पात्र आपके श्री खेतसिंह जी हैं उनको भी अधिक हाईजम्प्स मिलेंगे या नहीं ?

Page No.9

श्री अमृतलाल यादव --मैं भगवान् से प्रार्थना करता हूं कि उनको भी हाईजम्प्स मिलें ।

राज श्री हिम्मतसिंह --मैं उनकी स्पेशल क्वालिफिकेशन्स जानना चाहता हूं, क्या आप कृपा कर बतायेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव --स्पेशल क्वालिफिकेशन्स तो मैंने नहीं कहा था । क्वालिफिकेशन्स के लिये मुझसे पूछा गया था और मैंने बताया था कि वे एम.ए.,एलएल.बी हैं और उन्होंने सहकारी संस्थाओं के लिये पंजाब से ट्रेनिंग ली है । बिना ट्रेन्ड हुए हम नहीं रखते हैं ।

राज श्री हिम्मतसिंह --उनकी विशेषतायें क्या हैं ?

श्री कंवरलाल जेलिया --क्या यह सही है कि सहकारी विभाग में जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं वे इनसे अधिक योग्य हैं ?

श्री कानसिंह --ये महानुभाव एम.ए., एलएल.बी में किस डिविजन में पास हुए ?

श्री अमृतलाल यादव --यह तो मुझे मालूम नहीं है ।

श्री संतोषसिंह कछवाहा--क्या माननीय मंत्रीजी ने सर्विस शीट देखकर ही उत्तर दिया है या मनगढ़न्त ही उत्तर दिया है ?

श्री अमृतलाल यादव-जो मंत्री जवाब देता है वह जिम्मेदारी से ही जवाब देता है, चाहे वह मन गढ़न्त हो या लिखा हुआ हो ।

(करतल ध्वनि)

श्री तनसिंह--क्या, जिस युनिवर्सिटी से रजिस्ट्रार साहब ने एम. ए., एल एल. बी. किया उसी युनिवर्सिटी से श्री खेतसिंह जी ने भी एम. ए.. एल एल. बी. किया है ?

श्री अमृतलाल यादव--श्री खेतसिंह जी आपके पड़ोस ही में बैठे हैं अतः आपको ज्यादा मालूम हो सकता है ।

श्री संतोषसिंह कछवाहा--क्या उनकी सर्विस शीट में यह सब है ?

श्री अमृतलाल यादव--यह दूसरा सवाल है ।

श्री कंवरलाल जेलिया--रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई उस समय इन रजिस्ट्रार साहब की तनख्वाह ज्यादा थी या कम ?

श्री अमृतलाल यादव--अलग सवाल करें ।

(दिनांक ४ सितम्बर को स्थगित किया, प्रश्न संख्या ३५ आज लिया गया)

Page No.10

प्रश्न संख्या ३५

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या पुनः संस्थापन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) मई १९५३ से आज तक कितने शरणार्थियों को जिला गंगानगर में (मुसलमानों वाली) भूमि अलाट हुई ?

(ब) कितने शरणार्थियों की भूमि केन्सिल हुई ?

(स) जिसको भूमि अलाट हुई है उनमें से कितने कुटुम्ब ऐसे हैं जिनकी पाकिस्तान में भूमि नहीं थी ?

(ड) उनमें हरिजन कितने थे और हरिजनों में से चमार कितने थे ?

(इ) जिन शरणार्थियों को मुसलमानों वाली जमीन अलाट हुई और केन्सिल भी हुई उनमें हरिजन कितने थे और हरिजनों में से चमार कितने थे ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री एवं पुनःस्थापन मंत्री)—(अ) ५२२ शरणार्थियों को :

(ब) डबल अलाटमेन्ट के कारण १७ शरणार्थियों की भूमि केन्सिल हुई।

(स) ५०७ कुटुम्ब।

(ड) (१) ४६० हरिजन।

(२) १७२ चमार।

माननीय अध्यक्ष, मेरे खयाल से जिनके चमड़े के शरीर हैं उन सबको ही मैं चमार मानता हूं।

श्री सन्तोषसिंह—V

श्री हिम्मतसिंह—ये भी जिम्मेदारी का काम समझें तो।

श्री **अध्यक्ष**—चमार अर्थात् चर्मकार। "Chamar" is the Apbhransha of "Charmkar"—one who deals in leather is "Chamar".

(सदन में हंसी)

श्री अमृतलाल यादव—तो माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इनमें चमार १७२ थे।

(ई) किसी हरिजन अथवा चमार की भूमि केन्सिल नहीं हुई।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या मुसलमानों की भूमि और बाकी है और क्या उसका अलॉटमेन्ट भी हो रहा है ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हां, उसका अलॉटमेन्ट हो रहा है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जब मुसलमानों वाली जमीन बाकी पड़ी है तो सरकारी जमीन क्यों अलॉट की जा रही है ?

श्री अमृतलाल यादव—मेरा ताल्लुक केवल मुसलमानों वाली जमीन यानि उनकी इवेक्यू प्रापर्टी से ही है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जो अभी ३६२ फेमिलीज़ बसाई गई तो क्या वे सारे ही लोकल हरिजन हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—यह एक अलग प्रश्न है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—ये जो ५०७ हरिजन बसाये गये, क्या वे सारे ही लोकल हैं ?

श्री अध्यक्ष—The question is contrary to itself. (प्रश्न अपने में ही विरोधी है) बसाये गये और लोकल हैं; इसमें मेल नहीं बैठता।

(विराम)

So we now come to Legislative Business—Bills for consideration.

विचारार्थ-विधेयक

राजस्थान जिला मंडल विधेयक, १९५३ (खण्डशः अग्रेतर विचार-विमर्श)

खण्ड ११

श्री अध्यक्ष—We have considered the Bill upto clause 10th and we were discussing clause 11th and in clause 11th there are two amendments —one by Shri Bhairon Singh and the other by Shri Abani kumar.

(श्री अबनीकुमार को संबोधित करते हुए) Are you moving your amendment ?

श्री अबनिकुमार—We are discussing the first amendment of Shri Bhairon Singh.

श्री अध्यक्ष—He is not here as such you can put your amendment now.

श्री अबनिकुमार—(संशोधन इस प्रकार है—

"In clause 11 substitute the words 'the District Board' for the words 'State Government' occurring in lin one of sub clause (1)"

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको मैं मूव करने की आवश्यकता नहीं समझता। मैं यह मानकर चलता हूं कि वह मूव हो चुका है। इसलिये मैं उसको पढ़ूंगा नहीं।

[श्री अवनीकुमार]

यह सीधा-सादा अमेन्डमेन्ट है और इसके अन्दर मैंने यह बताने की कोशिश की है कि ओरिजिनल क्लॉज के अन्दर "The State Government" जो शब्द हैं उनकी जगह शब्द "The District Board" कर दिया जावे।

यह मैंने इसलिये किया है कि क्लॉज ८ के देखने से यह पता चलेगा कि कोआप्ट करने का जो अधिकार दिया गया है वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दिया गया है न कि राज्य सरकार को। इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि क्लॉज ८ में जब कोआप्शन का अधिकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दिया गया है तो क्लाज ११ में वही नामिनेशन का अधिकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को क्यों नहीं दिया गया, स्टेट गवर्नमेन्ट को क्यों दिया गया?

आखिर यह तो मानना ही पड़ेगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक जनता द्वारा चुनी हुई संस्था है। इसलिये यदि नामिनेट या कोऑप्ट करने का अधिकार अगर किसी को दिया जा सकता है तो उसी को दिया जाना चाहिये। सरकार को किस आधार पर दिया जाए, यह मेरी समझ में नहीं आता।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जिला जयपुर की तहसीलों में कई ऐसी जगह हैं जहां पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ। तो इसलिये अगर यह कोऑप्ट करने का, नोमीनेट करने का अधिकार सरकार को दे दिया गया तो सत्तारूढ़ दल के ही आदमियों को वह नोमीनेट करेगी। इस शंका का निवारण करने के लिये और चूंकि क्लॉज ८ में यही अधिकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दिया गया है.............

श्री अध्यक्ष—They will be technical persons.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—इसलिये लोगों के दिलों में परेशानी हो सकती है कि ऐसी जगहों पर सरकार अपने सत्तारूढ़ दल के ही आदमियों को नियुक्त करेगी। अतः मैंने सत्तारूढ़ दल की जगह, यानि स्टेट गवर्नमेन्ट की जगह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का संशोधन पेश किया है।

यही अधिकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को क्लॉज ८ में दिया जा चुका है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को क्लॉज ११ पर मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेने में कोई एतराज नहीं होगा और मेरे इस संशोधन को वे स्वीकार कर लेंगे। इस पर ज्यादा बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं समझ कर मैं अपना कथन यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह एक माने हुए प्रिन्सिपल पर आधारित है। इतना ही कहकर मैं अपना संशोधन सदन के सामने पेश करता हूं।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, प्रस्तुत धारा पर कल से बहस हो रही है। बहस के दौरान में जो जो दलीलें दी गई हैं उन दलीलों से यह साबित करने की कोशिश की गई है कि सरकार अपने किसी भी आदमी को इसमें नोमिनेट कर देगी; इस प्रकार की आशंका प्रकट की गई है और साथ में यह भी कहा गया है कि यह क्यों किया जाय, यह नहीं किया जाना चाहिये; उस क्षेत्र की सीट खाली रह जाय। अव्वल परिस्थिति यह है कि उस क्षेत्र का कोई प्रतिनिधि उस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मोजूद नहीं जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वहां की कुछ एक्टीविटीज को डेवलप करता हो। अगर किसी क्षेत्र में

[श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)]

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है तो वह क्षेत्र एक प्रकार से अनरिप्रेजेन्टेड रह जाता है। इतने समय के लिये जो कुछ काम डेवलपमेन्ट के अपने क्षेत्र में उसके जरिये होने चाहिये वे नहीं हो पाते हैं ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—ओन ए पोइन्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, सर, मालूम यह देता है कि माननीय मंत्री ने मेरे संशोधन को ठीक तरह से नहीं पढ़ा है ।

श्री रामकरण जोशी—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मैं कल जो बात चल रही थी उस पर बोल रहा हूं । कल की बात का भी तो मुझे जवाब देना है ।

तो इसलिये यह जरूरत है कि ऐसे कोई क्षेत्र अनरिप्रेजेन्टेड (Unrepresented) न रहें। प्रजातन्त्र का यह सिद्धान्त है कि कोई भी क्षेत्र अनरिप्रेजेन्टेड नहीं रहने चाहिये । अगर कोई क्षेत्र वगैर प्रतिनिधित्व के रह जाता है तो यह प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों का समर्थन करते हुए कहना वाजिब नहीं है ।

नामिनेशन पद्धति में यह जो शंका होती है कि सरकार जो नामिनेशन कर देगी वह अपने आदमी को नामिनेट कर देगी, सत्तारूढ दल अपने आदमी को नामिनेट कर देगा । यह जो शंका पैदा होती है उसके लिए मेरा निवेदन है कि उसके लिये रिकमन्डेशन्स (Recommendations) आती हैं जैसा कि म्युनिसिपैलिटीज का कायदा है । जो नामिनेशन किये जाते हैं उस बारे में उस जिले के कलेक्टर अपने रिकमंडेशन्स भेजता है, वह अपनी सिफारिश के साथ नामों की एक पेनल (Panel) भेजता है, और उसके अन्दर से गवर्नमेन्ट दो व्यक्तियों को नामिनेट करती है, उसमें से एक महिला और दूसरा हरिजन होता है । इस प्रकार जो नामिनेशन का तरीका है उस पर भी यह बात कहना, उस पर भी शंका करना; मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस तरह की शंकाओं पर विचार करने लगें तो कदम २ पर हम शंका आपस में करते रहें जिनका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता । यह बात कहना कि सत्तारूढ दल इस पर बहुत लीनियेन्टली (Leniently) विचार कर रहा है, इसका समर्थन कर रहा है; इस प्रकार की बातें हमारे मित्रों के दिमाग में हैं । इसके लिए मैं निवेदन यही करना चाहता हूं कि अगर सरकार इस प्रकार सोचे तो सरकार का काम नहीं चल सकता । काम को चलाने के लिए सरकार के पास कुछ सही प्रिन्सिपल्स होते हैं, जिनके आधार पर उनका जस्टिफिकेशन (Justification) होना जरूरी है । सरकार जब पूरा जस्टिफिकेशन कर लेती है तब कोई काम किया जाता है । कोई भी म्युनिसिपल बोर्ड उसमें चाहे किसी पार्टी का बहुमत हो, किसी का भी बहुमत रहा हो, कोई भी पार्टी उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाती हो उसके लिए ऐसी बातें हो जाना जो युक्तिसंगत नहीं मालूम देतीं, जो बातें वैधानिक मालूम नहीं देतीं तो सरकार को उस पर भी एक्शन लेना पड़ता है। मैं समझता हूं कि ऐसी नजीरें भी मिल सकती हैं। तो यह बात कहना कि अमुक दल का कोई व्यक्ति गलती करता है तो छोड़ दिया जाता है, अमुक गलती नहीं करता है तो भी विक्टिमाइज किया जाता है और नामिनेशन करते वक्त अपने पार्टी के आदमियों का ख्याल रखा जाता है, यह बातें असल में असंगत हैं ।

[श्री रामकरण जोशी]

यह बिल जो सदन के सम्मुख पेश है उसके बारे में जो हम बहस कर रहे हैं इस बिल की आलोचना करते वक्त मित्र लोग भूल जाते हैं कि यह बिल सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया है या यह बिल सिलेक्ट कमेटी में पूर्णतया विचार होने के बाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जिन बातों पर सिलेक्ट कमेटी में विचार-विमर्श हो गया और जिस सिलेक्ट कमेटी में केवल एक ही दल के मेम्बर नहीं थे, जिसमें दोनों पक्ष के मेम्बर थे सबने मिल-जुल कर सदन की रिप्रेजेन्टेटिव बोडी के रूप में कार्य किया। उनके द्वारा संशोधित बिल आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें उस पत्र का सवाल नहीं जिसके लिए मैंने कल कहा था। रावत साहब की चिट्ठी मैंने पढ़ कर सुनाई थी। अगर उनको किसी प्रकार का नोट ओफ डिसेन्ट देना होता तो वे भेजते किन्तु आज तक उन्होंने अपना डिसेन्ट का नोट नहीं भेजा। हो सकता है कि उनकी इच्छा डिसेन्ट करने की हो और नोट नहीं भेज सके हों। उनके सिवाय सब सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों ने एक मत होकर यह बिल आपके सामने रखा है। तो इन बातों से हमारे मानस पर जो शंका का आवरण है वह दूर हो जाना चाहिये। अगर सरकार ने अपने किसी पक्ष को प्रबल करने के लिए या अपने किसी समर्थन को जोरदार करने के लिए, अपनी बातों को चलाने के लिए सारी धाराओं का उलट-फेर किया हो तो आप उसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। सिलेक्ट कमेटी में सभी जवाबदार आदमी हैं, उन सब ने जो उपयुक्त सोचा उसी भावना से यह बिल पेश किया गया है। हो सकता है यदि कहीं भाषा की त्रुटि रही हो या अर्थ की दृष्टि से कोई क्लेरिफिकेशन की आवश्यकता हो या किसी प्रकार के दृष्टिकोण में भेद हो तो उसको अवश्य साफ किया जा सकता है। जो बिल सिलेक्ट कमेटी द्वारा अमेन्डड आपके सामने रखा गया है उसमें बेईमानी या गलतफहमी की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिये। इसमें किसी भी प्रकार के इन्टरप्रिटेशन में दुर्भावना नहीं रहनी चाहिये। जिस तरीके से इस बिल पर आलोचना हो रही है उससे सिलेक्ट कमेटी के प्रति हम न्याय नहीं कर रहे हैं। इसलिये मेरी सदन से अपील है कि माननीय सदस्य इस बिल पर विचार करते समय इन बातों को भी अवश्य ध्यान में रखें। यह बिल सरकार की तरफ से सीधा आया हुआ बिल नहीं है जिस पर कि आप इस तरह से बोलते चले जायें। इस पर सिलेक्ट कमेटी विचार कर चुकी। उस सिलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, उनमें किसी का आपस में मतभेद नहीं था। उन्होंने सर्व-सम्मति से, एकमत से इस रिपोर्ट को निकाला है। इस बारे में एक साहब ने कहा कि मेरा इस पर डिसेन्ट है। इस तरह से मेरा ख्याल है कि आप अपने विचार रखते हुए इन बातों का भी ध्यान रखेंगे।

यह तो बोर्ड के अधिकार हैं कि वह कोओप्ट करता है। जिस क्षेत्र का प्रतिनिधि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मौजूद नहीं उस क्षेत्र का प्रतिनिधि लाने के लिये कॉम्पीटेन्ट कौन हो सकता है? कॉम्पीटेन्ट वही हो सकता है जो उस क्षेत्र की जानकारी रखता हो, समग्र क्षेत्र को जानता हो, समग्र क्षेत्र का जिसको परिचय हो। वही आदमी बोर्ड में प्रतिनिधि बन सकता है। नोमिनेशन के लिये कहा जाता है कि सरकार अपनी पार्टी के आदमी को नोमिनेट कर सकती है किन्तु नोमिनेशन का तरीका यह है कि उस क्षेत्र के कलेक्टर से नामों का एक पेनल मांगा जाता है और उसमें से जितने नाम सरकार को लेने होते हैं ले लेते हैं और गजट में वे नाम निकाल दिये जाते हैं।

श्री जवानसिंह—ग्रोन ए पोइन्ट ग्राफ एक्स्प्लेनेशन, सर, सिलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके अन्दर क्लॉज ११ में जो पद्धति दी गई है क्या माननीय मंत्री उस पद्धति का विरोध कर रहे हैं या सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट गलत है या जो वे निवेदन कर रहे हैं वह सही है।

श्री रामकरण जोशी—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मेरा निवेदन यह है कि अभी तक तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव ही नहीं हुए इसलिए नोमीनेशन का सवाल ही नहीं आता। यह जो शंका पैदा हो गई है वह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो दलीलें दी गई हैं कि सतारूढ़ दल अपने आदमियों को नोमिनेट कर देता है इसके लिये मेरा कहना है कि सरकार का जिम्मेदार अधिकारी पहले देखता है कि इसके लिये किन किन व्यक्तियों को नोमिनट किया जाये; यह बातें मैं म्युनिसिपैलिटी के सिलसिले में कह रहा हूं, मैं इस कलॉज के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं।

ऐसी सूरत में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वह उस समय के लिये, अल्पकाल के लिये है, जिसकी संभावना मैं बहुत कम मानता हूं। उस संभावना की कोई गुंजाइश यों नहीं रहती है क्योंकि पंचायतों के चुनाव में अधिक समय नहीं लगता है और पंचायतों का चुनाव हो ही जाता है और हो ही जाना चाहिये। लेकिन ऐसी जगह, जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं तो इसके मायने यह नहीं हैं कि वहां पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ है तो उस क्षेत्र का एक प्रतिनिधि भी नहीं आ सकता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पूरे के पूरे एक क्षेत्र के लिये १५ पंचायतें रखी हैं। उनके चुनाव पहले कर लें और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव कर लेंगे, यह पद्धति अपने पास है लेकिन अभी फिलहाल एक प्रतिनिधि नामिनेट कर लेंगे। जब उस क्षेत्र की पंचायतों का चुनाव हो जायेगा तो उसी वक्त प्रतिनिधि का चुनाव करके वह भेज देंगे और नोमिनेटेड मेम्बर को वापिस भेज देंगे, यह साफ धारा में दिया हुआ है। सिलेक्ट कमेटी ने जो राय दी थी वह रिपोर्ट पेश करना चाहता हूं वह रिपोर्ट इसी सदन के सामने प्रस्तुत कर देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिन मित्रों ने एमेंडमेंट (संशोधन) पेश करके मुझे कुछ कहने का मौका दिया है उन सब का मैं आभार मानता हूं।

श्री अबनिकुमार—मैं जवाब के तौर पर कुछ कहना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह (बि० सं० १६)—माननीय अध्यक्ष, पहले मुझे जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष—Thank you.

(श्री भैरोंसिंह से) You are late today.

श्री अबनिकुमार—मैं तो जवाब दूंगा, लेकिन वे (भैरोंसिंह) जवाब देने के लिये खड़े हो गये थे। मैं अधिक डिले नहीं करूंगा।

अभी माननीय मंत्री महोदय ने जो यह कहा कि सिलेक्ट कमेटी ने जो विचार किये हैं उन विचारों को सदन को मान लेना चाहिये, यह थोथी दलील है। यह हो सकता है कि सिलेक्ट कमेटी के अन्दर उस पर अच्छी तरह से विचार नहीं हुआ होगा। ऐसी हालत में सिलेक्ट कमेटी ने जो राय जाहिर की है उसे सदन को स्वीकार कर लेना चाहिये, यह हम मानने को तैयार नहीं हैं।

[श्री अबनिकुमार]

दूसरी बात उनसे यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहा है कि नोमिनेशन (Nomination) की एक पद्धति है कि कलेक्टर एक पेनल ऑफ नेम्स (Pa.. of names) सबमिट (Submit) करते हैं ....

श्री रामकरण जोशी—मैंने उस एक्जाम्पल (उदाहरण) के बारे में कहा है जो कि म्युनिसिपैलिटी के नोमिनेशन के बारे में कहा गया है, उसके लिए जवाब दिया था।

श्री अबनिकुमार—लेकिन उसके लिये यह बात है कि आजकल कलेक्टर्स ज्यादा दिन एक जगह नहीं रहते हैं। उनके जल्दी से तबादले हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट के बारे में उनकी जानकारी बहुत सीमित होती है, इसलिये उनकी राय को सही मान लेना मैं ठीक नहीं समझता।

क्लॉज ११ पर जब सिलेक्ट कमेटी के अन्दर विचार हुआ तो यह विचार प्रकट किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसे क्षेत्रों में जहां कि पंचायतें चुनी हुई नहीं हैं, जहां से कि मेम्बर नहीं चुना जा सकता है उसके लिए चुने हुए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर एक पेनल ऑफ नेम्स सबमिट कर देंगे और स्टेट गवर्नमेंट को उसी पेनल ऑफ नेम्स में से किसी एक को नोमिनेट करने का अधिकार होगा इसकी तरफ मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसलिये मैंने जो संशोधन पेश किया है वह सीधा-सादा है।

श्री रामकरण जोशी—यह ठीक है कि कलेक्टर्स को पूरी इनफार्मेशन (सूचना) नहीं हो सकती है, इसलिये पेनल आफ नेम्स इसमें सबमिट हों और वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुने हुए मेम्बर करेंगे तो उसमें से नामीनेट कर लेंगे।

श्री अबनि कुमार—आप रूल्स के अन्दर प्रोवाइड करना चाहते हैं और मैं इसी बिल के अन्दर प्रोवाइड (Provide) करना चाहता हूं। यहीं हमारी डिफरेन्स आफ ओपीनियन, मत भेद है और इसीलिए मैंने यह संशोधन पेश किया है। क्लॉज ८ जो है उसमें मेम्बर्स को कोऑप्ट (Co-opt) करने की बात कही गई है। उसमें वह कोऑप्ट करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक चुनी हुई संस्था होती है और उसके अन्दर जो चुनकर आदमी आते हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट की परिस्थितियों के बारे में काफी जानकारी होती है। इसलिए मैंने जो संशोधन पेश किया है वह बिल्कुल सीधा-सादा है। उसमें "State Government" के बजाय शब्द "District Board" रखना है, और जैसी कि सिलेक्ट कमेटी की मंशा है। रूल्स के अन्दर प्रोवाइड करने की और आपने भी यही मन्शा जाहिर की है। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, मैंने जो संशोधन पेश किया है उसको स्वीकार कर लेंगे। इसके अन्दर बहस की कोई आवश्यकता नहीं है कि नोमिनेशन के बारे में जो शंकाएं जाहिर की गई हैं वह ठीक हैं, क्योंकि पिछले दिनों में जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नोमिनेशन की ताजा मिसाल हमारे सामने है। उसके अन्दर ऐसे आदमियों को नामिनेट किया गया है जो सत्तारूढ़ दल के थे। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसका कोई उत्तर नहीं दे सकेंगे लेकिन अगर

[श्री अबनिकुमार]

छान-बीन की जायगी तो यह पता चलेगा कि वह करीब सब के सब आदमी सत्तारूढ दल के आदमी थे। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि उनका इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिये मैं समझता हूं कि मेरा जो संशोधन है उसको मंत्री महोदय स्वीकार कर लेंगे।

श्री भैरोंसिह (नि० सं० १६)--अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कल इस क्लाज को डिलीट करने के लिये संशोधन रखा था, उसके जवाब में माननीय मंत्री महोदय एवं उनके साथियों ने जो जवाब दिये हैं वह सारी बातें एक बात पर आधारित थे। वह बात जो थी वह यह थी कि जो कुछ काम वे करते हैं वह सद्भावना से करते हैं और विरोधी दल की ओर से हमेशा उनके ऊपर चार्ज लगाया जाता है कि वे सब काम दुर्भावना से किये जाते हैं।.......

श्री रामकरण जोशी--सारे विरोधी पक्ष के लिये दुर्भावना की बात नहीं कही थी, कम से कम मैंने नहीं कही। कहने को तो जो आप चाहें जैसा कह सकते हैं लेकिन इस तरह कहना ठीक नहीं कि जो बात मैंने नहीं कही हो उसे आप कहें।

श्री भैरोंसिह--मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर झगड़ा सद्भावना और दुर्भावना का है.

श्री अध्यक्ष--आप इसका जवाब दीजिये।

श्री भैरोंसिह--मैं जवाब ही दे रहा हूं। यह उसके जवाब में ही है कि यह सद्भावना और दुर्भावना किस तरह से की जाती है, वह चीज मैं सदन को बताऊंगा।.........

श्री अध्यक्ष--Have you to say anything substantial as a reply ?

श्री भैरूंसिह--जो कुछ भी जवाब दे रहा हूं वह मेरे एमेन्डमेंट के विषय में भी है और जो कुछ उन्होंने कहा है दोनों चीजों को बताऊंगा।.........

श्री अध्यक्ष--सब्सटेन्शियल (Substantial) जवाब दीजिये। Why enter into a controversy ?

श्री भैरूंसिह--जवाब दे रहा हूं और जवाब में जो वाकेआत हैं उनकी ओर ध्यान दुबारा लाने का प्रयत्न करूंगा कि वास्तविकता कहां है।

हमारे पास कोई ऐसा थर्मामीटर तो है ही नहीं कि जो आदमी इस प्रकार का संशोधन रखते हैं उसके लगाने से मालूम हो जाय कि जो कुछ ये कह रहे हैं वह सद्भावना से कह रहे हैं या दुर्भावना से कह रहे हैं। ऐसा थर्मामीटर नहीं है कि मिनिस्टर साहब पता लगा लें कि यह दुर्भावना से कह रहे हैं या सद्भावना से। जो कुछ काम आप करते हैं, जो कुछ सरकार कार्यवाही करती है, तथा जो कुछ बातें इस संबंध में हुई हैं वह कार्यवाही बतावेंगी कि वह सद्भावना पूर्वक हुई हैं या दुर्भावना से हुई। पहले भी मैं एक मित्र की बात सदन के

[श्री भैरोंसिंह]

सामने रख चुका हूं। कल जो कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, जो अब इस सदन के माननीय सदस्य भी हैं, उन्होंने जो बात कही उसके लिये मैं एक चीज सदन के सामने रखूंगा और बताऊंगा कि वह दुर्भावना या सद्भावना किसके साथ है।

डूंगरपुर से जो माननीय सदस्य आये हैं उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार अपने किसी दृष्टिकोण के अनुकूल आदमी को ही नोमिनेट करेगी, न कि प्रतिकूल दृष्टिकोण वाले को नोमिनट करेगी। आगे उन्होंने कहा है कि सरकार यह सोचेगी कि अमुक स्थान पर अमुक व्यक्ति अनुकूल है और वह उस व्यक्ति को ही नोमीनेट करेगी। इससे सदन को पता चलेगा कि जो हुआ है वह उस तरफ सद्भावनापूर्वक होता है या दुर्भावनापूर्वक। अभी मेरे एक मित्र श्री अवनिकुमार जी ने जयपुर का जो उदाहरण दिया है कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जो नोमिनेशन्स हुए हैं वे किस भावना से हुए हैं। उसी प्रकार सीकर की एक चीज है जिसको बार बार मैं सदन को बताता आ रहा हूं कि सीकर में जो नोमिनेशन्स हुए हैं उनके लिये क्या माननीय मंत्री महोदय साहसपूर्वक सदन को बता सकेंगे कि वे दुर्भावनापूर्वक थे या नहीं? वहां दूसरी पार्टी को दबाने के दृष्टिकोण से काम नहीं किया गया, कांग्रेस के विरोधियों को खत्म करने की दृष्टि से सारा काम नहीं किया गया? वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्यों की नामावलि को देखेंगे तो उनको स्वयं मालूम होगा कि किस तरह की वह नामावलि है; हर आदमी के पीछे क्या क्या भाव हैं और उन भावों के पीछे क्या क्या रहस्य हैं। यदि वे उन सब का विश्लेषण करके देखेंगे तो वे कहने का साहस नहीं कर सकेंगे कि उसमें दुर्भावना थी या नहीं? उसमें स्पष्ट दुर्भावना झलकती है। जो कुछ हमारी तरफ से कहा जाता है मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वह सरकार का केवल विरोध करने की दृष्टि से नहीं कहा जाता है, बल्कि उन सारी चीजों से दुःख पाकर जनता की आवाज को सदन में पहुंचाने के लिये कहा जाता है।

श्री भैरूंसिंह—मुमकिन है कि आज हमारे माननीय मंत्री और उनके दल के सारे साथी सारे विरोधी दल को यह कहें कि ये बातें सरकार का विरोध करने को कहते हैं, मंत्री महोदय को बुरा-भला कहने को कहते हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री हमारे हैं, सदन हमारा है, हम कभी मंत्री महोदय या सदन को आघात नहीं पहुंचाना चाहते। यदि सदन की परंपरा को आघात पहुंचता है तो हमको पहले पहुंचता है। पर हमें मजबूर होकर उनका विरोध करना पड़ता है। यदि सरकार सद्भावनापूर्ण वातावरण बनायेगी तो मैं समझता हूं कि चाहे विरोधी दल हो या बाहर का व्यक्ति हो, कोई भी सरकार पर आक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन सरकार द्वारा जो काम किया जा रहा है उस काम के कारण हमें विश्वास है कि सरकार का कोई इरादा हमारे प्रति सद्भावना रखने का नहीं है ......

श्री अध्यक्ष—Is it not a repeatition of what you have said before ?

श्री भैरूंसिह (जारी रखते हुए)—एक दूसरी चीज इस संशोधन के संबंध में मुझे जो कहनी है वह है सिलेक्ट कमेटी के बारे में। सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स की काबलियत पर तो मुझे कोई शक नहीं है लेकिन यदि उसमें ऐसे मेम्बर्स ज्यादा होते जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के बारे में ज्यादा वाकफियत रखने वाले

[श्री भैरूंसिंह]

हों तो मैं समझता हूं, माननीय मंत्री महोदय को अपने अनुकूल वातावरण बनाने में बडी कठिनाई होती। दो-तीन लोगों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का ज्ञान था और बाकी लोगों के लिये यह एक नयी चीज थी इसलिये वे लोग माननीय मंत्री महोदय के कथन के बहाव में बह गये और उन्होंने जैसा चाहा वैसा करवा लिया।

श्री जवानसिंह—क्या माननीय सदस्य सिलेक्ट कमेटी के सदस्य नहीं थे ?

श्री भैरूंसिंह—मैं सदस्य जरूर था लेकिन कुछ कारणों से मजबूरी से मैं वहां उपस्थित नहीं हो सका था। यदि मैं होता तो ऐसा करने में शायद उनको जोर पडता। मुझे किसी पर आक्षेप नहीं करना है। यदि सदस्यों को सीकर आदि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की हालत मालूम होती तो वे ऐसा कर नहीं सकते थे। इसलिये मुझे निवेदन करना है कि सरकार की दुर्भावना को देखकर उनकी दुर्भावना-पूर्ण वातावरण को देखकर मेरे संशोधन को मंजूर करें और उनकी इस दुर्भावना को यहीं पर खत्म कर दें ताकि वे इससे बेजा फायदा नहीं उठाने पावें।

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment moved by Shri Bhairon Singh regarding deletion of Clause 11 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment fails.

(विराम)

The question is that amendment moved by Shri Abani Kumar be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment fails.

(विराम)

The question is that Clause 11 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 11 is added to the Bill.

खण्ड १२

There are no amendments to this Clause. So the question is that Clause 12 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 12 is added to the Bill.

Page No.20

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

I have received just now several amendments upto Clause 27 by Shri Man Singh of Mahar. There is one amendment to Clause 13 also. The amendment can be taken only if there is no objection. The amendment is : "Delete the Clause 13 and insert ...."

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)—I do not want to move it.

श्री चन्दनमल बंद (उप-मंत्री, विधि)—This amendment or all his amendments ?

श्री अध्यक्ष—Now the question is that Clause 13 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 13 is added to the Bill.

(विराम)

Now we come to Clause 14. Amendments by Shri Shyam Lal Goel.

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष, मेरे इस क्लाज में दो एमेंडमेंट हैं। क्या मैं दोनों को एक साथ मूव करूं ?

श्री अध्यक्ष—एमेंडमेंट सर्क्युलेट कर दिये गये हैं। दोनों को एक साथ ले लीजिये, एक्सप्लेन अलग अलग कर दीजियेगा।

श्री श्यामलाल गोयल—संशोधन इस प्रकार है :—

(1) "In clause 14, sub-clause (2) (*b*) at the end add the word 'or' and further add the following part to the sub-clause (3)'is an undischarged insolvent'."

(2) "In clause 14, sub-clause 2 (*a*), in line five substitute the word 'furnish' for the word 'find'."

क्लाज ४८ जो कैन्डीडेट्स की क्वालिफिकेशन्स और डिसक्वालिफिकेशन्स को डील करता है और उसमें जो क्वालिफिकेशन्स हैं उनमें यह एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी शख्स जिसकी उम्र २५ साल हो और जो उस कांस्टीट्यून्सी का रहने वाला हो वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये कैन्डीडेट खड़ा हो सकता है और उसके साथ साथ डिसक्वालिफिकेशन्स भी बतलाई गई हैं कि कौन कौन शख्स कैन्डीडेट की तरह खड़ा नहीं हो सकता। उनमें वे शख्स हैं जिनके इन्डियन पीनल कोड के तहत में इम्प्रिजनमेंट की सजा भुगत चुके हों या वे लोग जिनको मोरल टरपिट्यूड (Moral turpitude) के जुर्म के तहत में सजा दी गई हो और ऐसे शख्स जिनको सेक्शन १०६ और ११० जाब्ता फौजदारी की तहत में जमानत मांगी गई हो। आगे उसके लिये यह है:—

[श्री श्यामलाल गोयल]

"or ordered to find security for good behaviour in consequence of proceedings taken under section 109 or section 110 of the code of Criminal Procedure 1898," etc.

इसमें वर्ड "Find" गलत प्रिन्ट हो गया है । सेक्शन १०९ और ११० जाब्ता फौजदारी की हैं उनमें जो वर्ड आया है वह है "Furnish". जो भी शख्स बाइन्ड (Bind) किये जाते हैं उनको आॅर्डर दिया जाता है कि तुम इसके तहत में जमानत पेश करो कि नेक चलन रहोगे इत्यादि इत्यादि। इसलिये जहां तक इसका ताल्लुक है "Find" के बजाय "Furnish" फर्निश होना चाहिये जो कि जाब्ता फौजदारी में भी दिया गया है। इसे चेन्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि इसे मंजूर करने में मंत्रीजी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

इसके बाद मेरा दूसरा एमेंडमेंट यह है कि एक डिस्क्वालिफिकेशन जो इस क्लॉज में नहीं आई है वह अब जोड़ दी जाय। इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन्स दिखाई गई हैं उनमें यह लिखा गया है कि जो गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस कर दिया गया है, जो लीगल प्रेक्टिशनर है और उसको प्रेक्टिस करने से डिबार किया गया है,जो बोर्ड की सर्विस में है या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में है और जो प्रोफिट की पोस्ट होल्ड करता है या जिसकी तरफ एक साल से ज्यादा एरियर बकाया है ऐसे शख्स को डिस्क्वालिफाइड किया गया है। लेकिन इसके अलावा वह शख्स जिसको इन्सोलवेन्ट करार दिया गया है या जो किसी काम्पीटेन्ट कोर्ट द्वारा इन्सोल्वेन्ट करार दिया गया है और वह अन्डिस्चार्ज्ड है; तो उसके लिये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है। मेरा यह मानना है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के इलेक्शन फेअर और इंपार्शियल (air and impartia) होने चाहियें वहां हमें यह भी देखना है कि जो केन्डीडेट्स इलेक्शन में खड़े हों वे ऐसे हों कि जिनके खिलाफ किसी तरह की आवाज तो नहीं उठाई जा सकती है। यदि एक व्यक्ति इन्सोलवेन्ट है और काम्पीटेन्ट कोर्ट ने उसे इन्सोलवेन्ट करार दिया है और वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन के लिये खड़ा है तो यह ठीक बात नहीं है। मेरे ख्याल से इस एमेन्डमेंट का होना बहुत जरूरी है। हमारे राजस्थान में म्युनिसिपल बोर्ड्स का जो एक्ट है उसमें भी यह डिस्क्वालिफिकेशन है और उसमें बिल्कुल इसी किस्म का प्रोविजन है और वह इसलिये है कि म्युनिसिपैलिटी में ऐसे मेंबर न जाने पावें जो वहां जाकर भ्रष्टाचार फैलाते हों या उनको इसके लिये प्रोत्साहन मिलता हो। मैं यह बताना चाहता हूं कि जब आपने एक ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन भी रखी है कि जिस व्यक्ति की तरफ एक साल से ज्यादा का एरियर है वह भी मेंबर नहीं हो सकता तो इन्सोल्वेंट के लिये रोक होना तो बहुत जरूरी है।

जहां ऐसा प्रोविजन क्लॉज में हैं वहां प्रोविजन न हो कि जो देवालिया हो और अनडिस्चार्ज्ड हो या अनसाउन्ड माइन्ड का हो वह बोर्ड का मेम्बर हो सकता है। ये बातें कोन्ट्राडिक्टरी हैं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि मेरे जो दोनों एमेंडमेंट्स हैं किसी तरह से भी प्रिन्सिपल्स ऑफ दी बिल को इफेक्ट नहीं करते और जो जरूरी बातें रह गई हैं उनको प्रोवाइड करने के लिये हैं। इसलिये इन दोनों एमेंडमेंट्स को प्रस्तुत करते हुए मैं यह चाहूंगा कि आप इनको मंजूर करलें।

(श्री जवानसिंह बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—Have you tabled any amendments ?

Page No.22

श्री जवानसिंह--I want to support one amendement of Shri Shyamlal Goel and object the another one.

श्री अध्यक्ष--You will do it after all the amendments have been moved, so that you know which you have to support and which you have to object to.

(विराम)

Shri Bhairon Singh.

श्री भैरूँसिंह (१९)--अध्यक्ष महोदय, क्लॉज १४ में मेरे दो एमेंडमेंट्स इस प्रकार हैं :--

( ) "In clause 14, sub-clause (1)--Explanation-- Substitute the figure '180' by figure '360' in line three."

(b) "In clause 14, sub-clause (2) (*a*) the word 'three' occurring in line ten be substituted by the word 'five'."

अध्यक्ष महोदय, पहला संशोधन जो सदन में प्रस्तुत किया है वह इस बारे में है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कौनसा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसके लिये क्लॉज १४ में यह लिखा है कि कोई भी आदमी, जैसा कि इस क्लॉज में बतलाया गया है, उस रूरल एरिया का रहने वाला हो वह चुनाव लड़ सकता है। जब यह मामला सिलेक्ट कमेटी में गया और सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों ने यह सोचा कि कोई भी आदमी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव लड़ने के लिये इस बात का क्लेम करेगा और कर सकता है कि वह उसी डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरिया का रहने वाला है चाहे वह बाहर से ही आया हो। इससे बहुत कन्फ्यूजन (Confusion) होगा कि कौन सा वहां का रहने वाला है और कौन सा व्यक्ति नहीं रहने वाला है। इसलिये इस झगड़े को मिटाने के लिये सिलेक्ट कमेटी ने साफ कर दिया और एक अवधि निश्चित कर दी कि कोई भी आदमी जो १८० दिनों से उस डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरियाज में रहता हो चुनाव लड़ सकता है।

इस सम्बन्ध में मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि यह १८० दिनों की अवधि जो सिलेक्ट कमेटी ने निश्चित की है वह नाकाफी है और इसीलिये मैंने अपना संशोधन पेश किया है कि १८० दिनों के बजाय ३६० दिन रख दिये जावें। आजकल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्यों के प्रति जो वातावरण है उसको आप भलीभांति जानते हैं और दुनिया उनके प्रति यही कल्पना करती है कि वे लोग सारे के सारे अपना घर करते हैं और बनाते हैं चाहे वे लोग ईमानदारी से काम करते हों, चाहे बेईमानी से काम करते हों लेकिन जनता की धारणा यही है। इसके अलावा हर आदमी यही चाहता है कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सदस्य हो और उसके लिये वह अनेक प्रयत्न करता है। खासकर वह आदमी जिसको पहले म्युनिसिपैलिटी का सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो और उसको इस बात का अनुभव हो कि किस तरह से रुपया रिश्वत के रूप में खाया जाता है, हजम किया जाता है, यदि उसको म्युनिसिपैलिटी में सीट नहीं आई, पंचायत बोर्ड में उसको स्थान नहीं मिला तो वह हर प्रकार से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में इलेक्शन लड़कर आना चाहता है। मगर उसके सामने यह दिक्कत आती है कि वह रूरल एरिया का रहने वाला होना चाहिये। इसके लिये

[श्री भैरूंसिंह (१६)]

वह १८० दिन का सर्टिफिकेट पटेल या तहसीलदार से हासिल कर लेगा कि वह उस डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरियाज का रहने वाला है या किसी डाक्टर से इस बात का सर्टिफिकेट हासिल कर लेगा कि वह उसी डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरिया का रहने वाला है। इस चीज को दूर करने के लिये मैंने यह अपना संशोधन रखा है कि १८० दिन के बजाय ३६० दिन होने चाहिये।

पहले जितनी स्टेट्स (रियासतें) थीं उन सब में बोनाफाइड का प्रश्न था और वह झगड़ा सबसे बड़ा था। किसी स्टेट में १२ साल का रहने वाला बोनाफाइड माना जाता था तो किसी स्टेट में १५ और १७ साल का रहने वाला बोनाफाइड रेजीडेन्ट माना जाता था। मैं आपके सामने यहां पर बोनाफाइड का प्रश्न लाना नहीं चाहता मगर यह कह देना चाहता हूं कि उन रियासतों में जो इस प्रकार के बोनाफाइड का प्रश्न रखा गया था वह सोच समझ कर रखा था। कोई भी व्यक्ति एक महीने भर जोधपुर या जयपुर में जाकर रहकर वहां का बाशिन्दा नहीं हो सकता। जिस प्रकार सीकर का रहने वाला बाहर गांवों में रहता है जैसे दांता में उसी प्रकार १८० दिन के लिये कोई भी व्यक्ति आकर किसी जगह रह सकता है और अपनी खेती करवा सकता है। वह श्रावण में जाए तो श्रावण भादो, आसोज और काती तक वहां खेती के लिये रहेगा। वहां पर पटवारी इस मौसम में जायेगा, गिरदावर भी जावेगा और उसका नाम लिख लिया जावेगा और जो समय १८० दिन निर्धारित किया गया है वह काश्त के समय में ही खतम हो जावेगा। उसके बाद वे लोग यह कहेंगे कि हम देहात के आदमी हैं, हमने खेती की है इसलिये हमें चुनाव लड़ने का अधिकार है। इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को अवसर नहीं मिले इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि १८० दिन के बजाय ३६० दिन यानि एक साल का समय रखा जावे ताकि वे लोग शहर वाले झूठा प्रमाण-पत्र हासिल नहीं कर सकें।

दूसरा संशोधन यह है कि ३ साल का जो समय क्लाज १४ के सब क्लाज (२) में रखा गया है उसके बजाय पांच साल किये जावें। यह ३ साल का समय क्या है उसके लिये क्लाज १४ के सब क्लाज (२) (ए) में यह लिखा है कि कौन कौन से आदमी इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, जिन्होंने सजा पाई हो और सजा पाने के बाद तीन साल पूरे न हुए हों। यह मैंने इसलिये रखा है कि पिछले सेशन में हैबिच्युअयल ओफेन्डर्स बिल पास किया गया था और उस समय मैंने इस बात पर एतराज उठाया था कि १० साल के अन्दर जो व्यक्ति ३ बार की सजा भुगत कर आखिरी तीन साल में आता है तब उसको हैबिच्युअल ओफेन्डर कायम किया जावे। उसके जवाब में सत्तारूढ दल की ओर से और खास तौर से भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर ने यह कहा था कि वह व्यक्ति तीन साल में ठीक नहीं हो सकता और यही कह कर उस संशोधन को गिरा दिया गया। उस समय चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि कोई आदमी तीन साल में ठीक नहीं हो सकता तो आज स्वायत्त शासन विभाग यह चाहता है कि व्यक्ति तीन साल में ठीक हो सकता है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि कौनसी ऐसी नीति अपनाई जा रही है? कौन सी बात ठीक है। पहले भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर ने जो बात कही थी वह ठीक है या जो अभी कही जा रही है वह ठीक है? मैं यह सदन से प्रार्थना करूंगा कि सरकार को अपनी परम्पराओं पर कायम रहना चाहिये और इस बात के लिये आपसे निवेदन करूंगा कि जिस व्यक्ति ने तीन साल में चोरी की हो या जिस पर १०९ और ११० दफे के अनुसार मुचलके

[श्री भैरूंसिंह]

हुए हों, ऐसे आदमी से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि वह व्यक्ति देश और समाज की सेवा कर सकेगा और कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जो लोग आवेंगे वे जनता की सेवा करने के लिये ही आवेंगे, बेइमानी करने के लिये नहीं आवेंगे। जब तक अच्छे और ईमानदार आदमी नहीं आवेंगे तब तक लोगों के दिलों में उनके प्रति इस प्रकार का वातावरण बना रहेगा और जनता का कोई हित नहीं होगा।

इन सारी चीजों को लेकर मैं यह निवेदन करूंगा कि ३ साल की अवधि के बजाय ५ साल की अवधि कायम की जावे और मैंने जो दोनों संशोधन रखें हैं उनको मंजूर कर लें तो ज्यादा उत्तम रहेगा।

श्री **अध्यक्ष**—श्री अवनिकुमार।

श्री **अवनि कुमार मुकर्जी**—अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन सैक्शन १४ के प्रोविजो क्लाज के सम्बन्ध में है। मैंने अपने संशोधन में यह कहा है कि क्लाज का जो प्रोविजो है उसे डिलीट कर देना चाहिये यह इसलिये कहा है कि रिप्रेजेन्टेशन आफ़ पीपुल्स एक्ट १९५० (Representation of Peoples Act,1950) को देखने से पता चलेगा कि जो आदमी इलैक्शन में खड़ा होगा अगर वह इन क्वालिफिकेशन्स में नहीं आता है तो वह चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। इसमें अगर वह डिस्क्वालीफ़ाइ हो जाता है तो चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। अतः इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बिल में भी इन डिस्क्वालीफ़िकेशन्स को रिमूव करने की आवश्यक्ता नहीं है। तमाम जो डिस्क्वालीफ़िकेशन्स रखी गई हैं मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ़ प्रोविजो में जो डिस्क्वालीफ़ीकेशन्स रखी गई हैं 'बी', 'सी' और 'जी' उनके बारे में कहना चाहता हूं।

वे तीनों इस प्रकार हैं:—

"(b) has been dismissed from Government service and is debarred from re-employment therein ; or

(c) is debarred from practising as a legal practitioner by order of any competent authority ; or

(g) holds directly or indirectly or by a partner any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of the Board ; or...."

अतः प्रोविजो क्लाज में जो 'बी' 'सी' और 'जी' डिस्क्वालिफ़िकेशन्स रखी गई हैं, गवर्नमेन्ट चाहे तो उनको हटा सकती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ऐसे आदमी जिनके बारे में डिस्क्वालिफ़िकेशन्स हैं क्या उनके लिये चुनाव में खड़ा होना जरूरी है? अगर सरकारी नौकरी से आचरण वगैरह की दृष्टि से डिसमिस हुए हैं, अगर किसी को प्रैक्टिस करने के लिए मना कर दिया गया है और मुमकिन है ऐसी कोई बात हो जिसकी वजह से उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में एपियर होने के लिए मना कर दिया गया हो, उनको जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर इन्ट्रेस्ट रखते हों Contract या employment के जरिये क्या ऐसे आदमियों को चुनाव लड़ने का अधिकार सरकार द्वारा दे दिया जावे?

Page No.25

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

जो अधिकार उसको दिए जाते हैं यदि वह व्यक्ति उन अधिकारों का दुरुपयोग करे तो उनको डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है । अतः मेरा संशोधन यह है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन्स महत्वपूर्ण डिस्क्वालिफिकेशन्स हैं और इनको रीमूव करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट और कमिश्नर को नहीं होना चाहिये और यह रहने चाहियें । मैंने जो नजीर पेश की है उससे मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्रीजी मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष--रावत श्री शंभूसिंह ।

रावत श्री शंभूसिंह —माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है:--

"At the end of Clause 14 insert the following new clause namely, 'Clause 14A:—

'Subject to sub-section (2) of section 14, Members of Rajasthan Legislative Assembly residing in rural area of the District shall be deemed to be the members of the Boards.'"

अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल में चुनावों की जो पद्धति है वह अप्रत्यक्ष होने से बड़ी आपत्ति-जनक है । जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का बिल मेरे सामने आया तो मैंने सोचा कि नोमिनेशन्स आप्शन और इन्डाइरेक्ट इलेक्शन की पद्धतियां हैं तो उनमें संशोधन करने के लिये मैं अपने अमेन्डमेन्ट्स भेजूं। किन्तु मैंने यह सोचा कि गवर्नमेंट किसी भी अच्छे संशोधन को स्वीकार नहीं करती तो आखिर मैंने यही सोचा कि इस संशोधन को तो भेज ही दूं जिसको स्वीकार करने में गवर्नमेंट को कोई आपत्ति नहीं होगी । अध्यक्ष महोदय, यदि कल क्लाज १० और ११ के सम्बन्ध में श्री मानसिंहजी महार और श्री भरूसिंहजी का संशोधन स्वीकार कर लिया जाता तो मैं अपने इस संशोधन को वापिस ले लेता । किन्तु कल के वाद-विवाद से यह सिद्ध हो गया है कि अप्रत्यक्ष चुनाव रखने के लिये सरकार कटिबद्ध है अतः मैंने सोचा कि क्लाज १४ में संशोधन कराने से कम से कम कुछ हद तक तो ऐसे मेम्बर्स डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में जा सकेंगे जो कि डाइरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुने हुए होंगे और जिनकी लोकप्रियता में किसी को कोई संदेह भी नहीं होगा । मैंने यह क्लाज इसीलिये रखा है कि असेम्बली के मेम्बर्स डाइरेक्ट चुनाव से चुने हुए आए हैं और जिनके बारे में सदन को संदेह नहीं हो सकता । जो लोकप्रिय व्यक्ति नहीं होते वे इस भवन में कदापि नहीं आ सकते । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स द्वारा डाइरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुने हुए असेम्बली के सदस्यों को पहुंचाने की नियत से मैंने यह संशोधन रखा है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्रीजी और उस कक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य उन सदस्यों के प्रति संदेह नहीं करेंगे जो डाइरेक्ट चुनावों द्वारा इस सदन में पहुंचे हैं । इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और मेम्बरों के बीच भी एक कड़ी स्थापित हो जावेगी । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में ये मेम्बर काम करके डिस्ट्रिक्ट्स की समस्याओं को इस हाउस में पहुंचाने के लिये ज्यादा कामयाब हो सकेंगे क्योंकि वे उन समस्याओं से अवगत रहेंगे । हाउस में जो कार्य होता है उसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचेगी । इस प्रकार से इन दोनों का कोऑर्डि-नेशन अच्छा बन जायगा और उससे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का काम सुचारु रूप से चलेगा और बड़ी अच्छी २ तजवीजें पेश हो सकेंगी । अतएव मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्हें मेरे संशोधन को स्वीकार करने

[रावत श्री शंभूसिंह]

में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये, उन्हें मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये। उस तरफ बैठने वाले सदस्यों को भी किसी प्रकार का संदेह नही करना चाहिये। अगर उनको अपने आप में आत्म-विश्वास है तो उनको इस संशोधन के पास होने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये और उन्हें मेरे इस संशोधन को एकमत से स्वीकार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—Shri Mahar, do you want to press your amendment ?

श्री मानसिंह महार—I will speak on Shri Bhairon Singh's amendment.

श्री अध्यक्ष—Later.

(विराम)

Shri Raghuraj Singh has tabled an amendment to Clause 14, sub-clause (1), Explanation. He wants a proviso to be added to it, to the effect that:—

> "Provided that it will not apply to the Government servants who have either been retired or who have resigned from service within 180 days of the date of the election."

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री, विधि)—We have not received it.

श्री अध्यक्ष—He has just given it.

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, विधि)—मैं इस पर एतराज करता हूं।

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—आपने क्या कहा सुना नहीं गया है; फिर कहिएगा।

श्री चन्दनमल वैद—जो संशोधन अभी लिया गया है उसके लिए मुझे ऐतराज है।

श्री तनसिंह—The discretion lies with the Chair.

श्री अध्यक्ष—And the discretion of raising objection lies with him.

श्री गोपीलाल यादव—आप इस बिना पर ऐतराज नहीं करें कि यह संशोधन अभी लिया गया है। आप तो यह देखिये कि यह संशोधन ठीक है या नहीं। अच्छा हो तो आप ले लीजिये। डिबेट के दौरान में तो बहुत सारे संशोधन आ सकते हैं। संशोधन की मेरिट को देखकर ही उस पर बहस होनी चाहिए कि इसको लिया जाय अथवा नहीं। मैं निवेदन करूंगा कि मेरिट को देखकर आप इस पर ऐतराज करें।

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री, विधि)—उसकी मेरिट को देखने के लिए ही तो समय चाहिए। एक बात पर अमेन्डमेन्ट दिया जाता है तो उसके देखने में सदन का समय खराब होता है। जब तक उसको नहीं देख लिया जायगा तब तक सदन का कार्य रुका रहेगा और अगर, इस तरह से संशोधन आते रहे तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बिल तीन महीने में भी समाप्त नहीं होगा।

मेजर ग्रापजी श्री रघुराजसिंह—अगर आप मेरे आर्ग्युमेन्टस को सुन लेंगे तो मेरे खयाल से आपको इसे स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—One Hon'ble Member should speak at one time; otherwise it would be very difficult for me to hear all of you speaking at one time.

The Hon'ble Member should hear his amendment and then if he has any objection, he can raise it.

मेजर ग्रापजी श्री रघुराजसिंह—मेरा अमेन्डमेन्ट पेश करने का भावार्थ यह है कि सैक्शन १४ के एक्सप्लेनेशन में जो १८० दिन रूरल एरियाज में रहने के लिए कहा गया है और यदि नहीं रहता तो वह डिसक्वालिफाई हो जाता है तो मैं यह चाहता हूं कि "residence" की क्वालिफीकेशन्स क्या होगी? हो सकता है कि १८० दिन रूरल एरियाज में न रह सके तो क्या वह परमानेन्ट रेजिडेन्ट नहीं माना जावेगा और उस बिना पर वह चुनाव में खड़ा होने के लिये डिसक्वालिफाई कर दिया जावेगा? ख्याल करिए कि कोई व्यक्ति किन्हीं ड्यूटीज से बाहर होता है और वह १८० दिन रूरल एरिया में नहीं आ पाता या रह पाता, अथवा कोई रिटायर होता है या सरकारी नौकरी छोड़ कर चुनाव में खड़ा होता है किन्तु १८० दिन रूरल एरिया में नहीं रहता है तो क्या वह चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, क्या उसको चुनाव लड़ने से डिबार कर दिया जावेगा? आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने यह अमेन्डमेन्ट पेश किया है। इससे गवर्नमेन्ट की मूल बात में कोई इफेक्ट नहीं होता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, विधि)—घबराने का कोई सवाल नहीं है। किन्तु सवाल है कि विचार करने के लिए समय चाहिए। अगर समय नहीं मिलता है और नए नए अमेन्डमेन्ट्स रखे जावेंगे तो इससे सदन का काफी समय जायगा और इस बिल में भी काफी समय लग जावेगा।

श्री अवनिकुमार—आप आर्ग्युमेन्ट सुनकर विचार कीजिए।

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री, विधि):—टाइम लिमिट जो रखी गई है......

श्री अध्यक्ष—Clause 14, sub-clause (1) says:

"Subject to the exceptions stated in sub-section (2) of this section and further subject to the provision contained in sub-section (2) of section 7, every person who has attained the age of twenty-five years before the date of election and residing in the rural area in any constituency of the district shall be qualified for election as a member from that or any other constituency in the district;"

This clause covers the intention of the proviso which is sought to be inserted. I do not think there is any necessity of having this inserted. I had explained this. The words "residing in rural areas in any constituency" mean that if that Government Officer is a resident of that constituency, if he is living

[श्री अध्यक्ष]

there for a number of years for performing his duty as Government Officer, than too it is applicable to him. He is deemed to be a resident of that part of the constituency. So this proviso is redundant.

मेजर महाराज श्री रघुराजसिंह—बात यह है कि इसका जो इन्टरप्रिटेशन है वह कोर्ट से ही किया जावे। The interpretation will be made by the Courts.

श्री अध्यक्ष—It will be done by the Returning Officer. There is no room for doubt. The clause is very clear.

श्री अवनिकुमार—I would like to submit something in this connection. Actually they cannot stand if they are not on the electoral rolls.

श्री अध्यक्ष—There is no question of electoral rolls. They are not entitled to stand for election. They are entitled to vote.

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, अगर शब्द "residing" से पहले "permanently residing" कर दिया जाते तो इस प्रोवीजो की जरूरत नहीं रहे।

श्री अध्यक्ष—It includes permanent residence. If he has got a house, permanent property in that constituency, the purpose of the proviso fails. It is included in this.

So I do not think I should exercise my discretion.

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, अभी जो श्री श्याम लाल जी ने इस क्लोज के सिलसिले दो अमेन्डमेण्ट्स पेश किये हैं उनकी निस्बत में यह निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने पहले अमेन्डमेन्ट........

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, आप स्वयं कोई अमेन्डमेन्ट पेश नहीं कर रहे हैं पर दूसरों के अमेन्डमेन्ट पर बोल रहे हैं।

इसी क्लाज १४ में एक अमेन्डमेन्ट मैंने अभी हाल भेजा है और अगर उसको श्रीमान् डिस्कशन से पहले देख लें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—Then why are you advocating for another amendment ?

(विराम)

I have no objection in accepting all those amendments but the Hon'ble Members should look to their own convenience or inconvenience. The Secretariat will not be responsible if the Members are not able to follow those amendments nor I am responsible for that. If the Hon'ble Members could take more pains

Page No.29

[श्री अध्यक्ष]

and table the amendments at least 24 hours before the clauses are taken up, the office will circulate them. I will not reject these amendments : I will give full and every opportunity to Hon'ble Members to discuss every clause and every item of the Bill. But there are certain limitations of my discretion too.

The Hon'ble Members will take care not to put me in an embarrassing and difficult situation.

With these observations I read the amendment.

(पढ़ने का प्रयत्न करते हुए)

This is so Greek and Latin to me...

श्री गोपीलाल यादव—मैं पढ़कर सुना देता हूं। The proviso to section 14 be deleted and in its place the following should be added:—

"Provided that the grounds of disqualifications mentioned in clauses (*b*) and (*c*).........

श्री अध्यक्ष—You are reading something else, you have improved upon it.

श्री गोपीलाल यादव—I have'nt got a copy of this. I was reading from memory.

श्री कानसिंह—यह ग्रीक आप ही पढ़ दीजिये,

(उप-मंत्री, विधि द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने को खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—First let him read and then object to it.

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, इसमें जो प्रोवीजो है वह इस तरह है:

"Provided that in cases (*b*) and (*c*) the disqualification may be removed by an order of the Government in this behalf, and that in case of (*g*) the disqualification may be removed by an order of the Commissioner in this behalf."

(विराम)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको तो छोड़ दिया जावे और इसकी जगह यह रख दिया जावे :

"Provided that he shall not be disqualified on the grounds mentioned in sections (*b*) and (*c*) after more than five years have elapsed since the date of such order."

[श्री गोपीलाल यादव]

यह मैंने इसलिए रक्खा है कि ऊपर जो मेन्शन किया गया है सब-क्लॉज (ए) में, उसके अनुसार उनकी पांच पांच और तीन तीन सालों कि डिसक्वालिफिकेशन को रिमूव कर देना चाहते हैं पर गवर्नमेन्ट गवेंन्ट को किसी गलती की वजह से अगर डिसक्वालिफाइड कर दिया जाता है तो तमाम उम्र भर के लिए गवर्नमेन्ट कर दे तो कर दे, पर हम नहीं करना चाहते हैं। अगर उसके पांच वर्ष निकल गये हैं तो उसकी डिसक्वालिफिकेशन रिमूव कर दी जावे।

और दूसरा सैक्शन (जी) में अगर कोई वाकई पार्टनर है और किसी कन्ट्राक्ट में हिस्सा ले रहा है तो उसको डिसक्वालिफिकेशन से रिमूव करने के लिए कमिश्नर को भी इजाजत नहीं दी जानी चाहिये क्योंकि जब वह प्रोफिट गेन कर रहा है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से तो even that disqualification should not be removed by the Commissioner and not even by the Government कमिश्नर को ही नहीं, राज्य सरकार को भी उसकी डिसक्वालिफिकेशन रिमूव करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये।

इसलिए चूंकि यह अमेन्डमेन्ट आया है इसलिए मैं आशा करूंगा कि माननीय मन्त्री इस पर एतराज नहीं करेंगे और इस पर विचार करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, विधि)—आपने भाषण तो कर दिया। अब ऐतराज के लिए रह क्या गया है?

श्री अवनिकुमार—इतना अहम मामला सदन में चल रहा है तो क्या स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय को यहां उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है?

श्री अध्यक्ष—You should not be so touchy and want his presence before your eyes every moment. He is a human being and he needs all sorts of easements and all that. Do you want to confine him to this House for each and every moment? Of Course it is desirable that he should be in attendance, but subject to certain conveniences.

(श्री गोपीलाल यादव को सम्बोधित करते हुए)

So you have explained.

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन कर रहा था कि श्री श्याम लालजी ने जो २ अमेन्डमेन्ट्स खंड १४ के सिलसिले में सदन के सामने पेश किये हैं उनमें पहले का जिक्र करते हुए सब-क्लॉज (२) (ए) में "find" शब्द के स्थान पर "furnish" कर देने सम्बन्धी जो संशोधन है उससे मैं सहमत हूं। इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक जो कानून हमारे सामने काफी अरसे से चला आ रहा है और जिसकी नकल दूसरे कई कानूनों में हो रही है और एक शब्द टैकनिकली और लीगल्ली ऐसा बन गया है कि जिसकी सेंस, जिसकी रूलिंग की वजह से वह बिलकुल साफ बन गया है

[श्री जवानसिंह]

तो उसी शब्द को हमें यहां पर उसी कानून की तहत का रेफरेंस देते हुए बदलना नहीं चाहिये बल्कि जो शब्द अमेन्डमेन्ट के तौर पर पेश किया गया है उसी को मानना चाहिये। यह लाजमी तौर से सही है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिये।

जहां तक दूसरे अमेन्डमेन्ट का प्रश्न है उसमें मैं सहमत नहीं हूं और इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अमेन्डमेन्ट कुछ happily drafted नहीं है। इसका पहला कारण तो यह है कि उन्होंने जिस तरह से यह अमेन्डमेन्ट पेश किया है उसमें वह शब्द "or" को कायम रखना चाहते हैं वह अंग्रेजी में "or" नहीं बना हिन्दी में 'और' बन गया है।

जैसा कि उन्होंने अमेन्डमेन्ट पेश किया है उसके अनुसार जब इस क्लाज में वह मौजूद है तो दूसरा "or" कैसे हो जायगा इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह "or" शब्द निरर्थक है और इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—After the end of Sub-clause (2) (*a*) there is already a word "or". There is again an "or" after (*b*), and again another "or" after (*c*), and so on, and after sub-clause (2) (*h*), the amendment will be added:

"(*i*) is an undischarged insolvent." 2(*b*) is a typing mistake. It should be 2 (*h*). Similarly for (1) it should be (*i*)."

श्री जवानसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) तो मेरा निवेदन करने का यह अर्थ था कि जो शब्द जोड़ने का अमेन्डमेन्ट है वह "or" का अमेन्डमेन्ट इसके पहले न होकर बाद में होना चाहिये। इसका अर्थ यह होगा कि एक 'और' इस क्लाज के आखिर में होना चाहिये। अभी मुझे जैसा कि मालूम हुआ कि यह टाइप की मिस्टेक है कि "(2) (*b*)" की जगह "(2) (*h*)" है जैसा कि बताया गया है तो आपका यह अमेन्डमेन्ट "(2) (*b*)" में न रहकर "(2) (*h*)" में रह जाता है इसलिये जो भी कुछ मैंने पहले निवेदन किया है वह इस तरह से एक के बाद सही नहीं है।

माननीय सदस्य ने जिन शब्दों में अमेन्डमेन्ट पेश किया है उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि उन्होंने जो शब्द "is on undischarged insolvent" रखे हैं ....

श्री अध्यक्ष—After (*h*) comes (*i*).

श्री जवानसिंह—अगर इसको मिस प्रिन्ट समझ कर इसको अगर "1" समझ लेते हैं और इसको "I" के रूप में पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में यह क्लाज़ रह जाता है "is an undischarged insolvent".

श्री अध्यक्ष—He had explained it very clearly. He wants to insert (*i*) after (*h*). This he had explained very clearly.

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६)—अध्यक्ष महोदय, इसमें (*i*) क्लाज़ है नहीं।

श्री **अध्यक्ष**—You are not attentive to the discussions.

श्री **जवानसिंह**—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मेरा यह निवेदन था जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं कि "undischarged insolvent" कोर्ट से कोई डिक्लेअर हो जाय तो अनडिस्चार्ज के रूप में कोई कन्डीशन जरूर लागू हो जानी चाहिये। यह जो अमेन्डमेन्ट पेश किया गया है या तो इस सूरत को बतलाने के लिये इसमें ये शब्द और एड कर दिये जाने चाहिये "who is declared by a competent Court to be an undischarged insolvent..." इतना अमेन्डमेन्ट पेश करना चाहिये जिससे यह माना जा सके कि एक कोर्ट द्वारा इनसोल्वेन्ट डिक्लेअर हो चुका हो, उसके बाद में अब तक अनडिस्चार्ज्ड इनसोल्वेन्ट है। अगर स्थिति यह रहती है, कौम्पीटैन्ट कोर्ट के डिक्लेअर करने के बाद भी अगर यही स्थिति रहती है तो यह अमेन्डमेन्ट स्वीकार किया जा सकता है। नहीं तो इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

श्री **भीमसिंह**—माननीय अध्यक्ष, भैरूंसिहजी ने जो अमेन्डमेन्ट नं० ७ रखा है मैं उसके विरोध में बोलते हुए कुछ शब्द अर्ज करना चाहता हूं। उन्होंने जैसी कि सिलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट को देखा होगा और पहले का बिल भी देखा होगा, उसमें राजस्थान के रूरल एरिया की कोई डेफिनिशन नहीं की गई थी और न बिल में यह मौका दिया गया था कि इसमें रिजाइडिंग का कितना अरसा, कितना समय इन्टरप्रेट किया जाता है। सिलैक्ट कमेटी न यह महसूस किया और इस चीज़ को लेकर कि कहीं नोमिनेशन खारिज न हो जायं, कोई चीज़ रिटनिंग आफ़ीसर के समक्ष में न आने की वजह से किसी भी आदमी का नोमीनेशन पेपर रिजेक्ट नहीं होना चाहिये, इस समय की अवधि को रेज़ीडेन्शियल यानी ठहरने की अवधि है उसको एक्सप्लेन करना बहुत आवश्यक है। इसके लिये इसके नीचे एक्सप्लेनेशन जोड़ दिया गया है। अब सवाल आता है कि अवधि का वह १८० दिन से बढ़ाकर ३६० दिन कर देना चाहिये। इस विषय में मेरा निवेदन यह है कि आपने पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट को देखा होगा, उसमें असेम्बली के चुनाव के लिये रहन की यानी रेजीडेन्शियल की परिभाषा की गई है कि १८० दिन रहना आवश्यक है। यहां तक कि पार्लियामेन्ट के लिये भी अवधि-काल केवल १८० दिन का तय किया गया है तो क्या कारण है कि हम इसी तरह से लोकल बोडीज के चुनाव के लिये ३६० दिन का अवधि-काल क्यों रखें? इससे नियम के अन्दर भी भिन्नता आती है और उस भिन्नता को न रखने के लिये ही जो अवधि पार्लियामेन्ट के लिये या असेम्बली के लिये है वही रेजीडेन्सियल क्वालिफ़िकेशन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये भी रखी है। १८० दिन जो पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट में भी रखा गया बहुत ही वाजिब चीज़ है।

यह चीज़ सब लोगों पर लागू होगी, यह चीज़ हमारे पक्ष के लिये वैसे ही लागू होगी तो यह चीज़ वैसे ही कांग्रेस या जो ट्रेज़री बैन्चेज़ (Treasury Benches) हैं उनके लिये भी लागू होगी। यह दोनों पार्टियों पर लागू होने वाली है। इसलिये दोनों पर एकसा रिस्क होगा, यह समझ कर १८० दिन रखे गये थे।

साथ ही साथ जैसा कि उन्होंने सब क्लॉज (२) में यह अमेण्डमेन्ट रखा है "three years" के बजाय "five years" करने का। उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि मूल बिल में

Page No.33

[श्री भीमसिंह]

पहले था, उसमें "five years" ही था। सिलेक्ट कमेटी में इसको "three years" किया गया और इस "three years" को कराने में विरोधी दल वालों का खास तौर से आग्रह था और वह आग्रह इसलिये था, जसा कि आपने स्टेट सिक्योरिटी बिल का हवाला दिया था, उसमें ५ साल के बजाय ३ साल करने का, लकिन गवर्नमेन्ट ने नहीं माना और अगर वहां पर गलती कर दी तो फिर दुबारा उनसे फिर गलती करायें ? फिर दुबारा मौका मिला है तो· · · · ·

श्री **भैरोंसिंह**—गवर्नमेन्ट उसको अपनी गलती मानती है क्या ?

श्री भीमसिंह—गवर्नमेन्ट चाहे न माने, हम तो उसको गलती मान लें। संयुक्त दल ने उसका विरोध किया था। उसमें जो ५ साल रखे गये तो लोगों को तकलीफ़ ही मिली। तो हम लोगों ने जो संयुक्त दल की तरफ़ से सिलक्ट कमेटी में थे यह महसूस किया कि सार्वजनिक शांति से दो सैक्शन, १०६ और ११० रिलेट करते हैं। सार्वजनिक शान्ति और सार्वजनिक सुरक्षा के नाम पर गवर्नमेंट द्वारा आज भी विरोधी दल के एक महानुभाव को प्रिवेन्टिव डिटेन्शन (Preventive Detention) में लिया हुआ है और बहुत से आदमियों को पहले भी प्रिवेन्टिव डिटेन्शन में लिया था और भविष्य में शायद और भी लोगों को ल । इसलिये मैं महसूस करता हू कि यह ट्रेज़री बैन्चेज पर कम प्रभाव डालेगा और विरोधी दल पर ज्यादा इफ़ैक्ट करेगा, ऐसी बात नहीं है और उस हालत के अन्दर बहुत से आदमी जिनको कि गवर्नमेन्ट पब्लिक सिक्योरिटी के नाम से डिटेन (detain) करेगी उन आदमियों को आयन्दा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चनाव में दिक्कत आयेगी और इसलिये ५ साल के बजाय ३ साल कराये गये थे। मैं महसूस करता हूं कि यह चीज़ वाजिब ही रखी गई थी। कल हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी पावर में नहीं हो और हम पावर में हों तो वह नियम तो दोनों पर ही एक समान लागू होगा। ऐसी सूरत में मैं श्री भैरोंसिंहजी से निवेदन करूंगा कि सिलेक्ट कमेटी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, जैसा कि उसके एक्स्प्लेनेशन (Explanation) में दिया है ठीक है, वह उचित है। अतएव मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इस एमेन्डमेन्ट को विथ्ड्रा करलें।

श्री **श्रीदास गोयल**—अध्यक्ष महोदय, श्री जवानसिंहजी ने "undischarged insolvent" के सिलसिले में फरमाया वह शायद कानूनी नुक्ते नजर से उसको ठीक तरह से एप्रिशियेट (appreciate) नहीं कर सके, नहीं तो यह लीगल टर्म (legal term) है अनडिस्चार्ड्ड इन्सोल्वेन्ट (undischarged insolvent)। इसके मतलब यह हैं कि इस प्रकार का दिवालिया जो अपने तमाम हिसाबात को कोर्ट में तय नहीं करा सका हो उसको कहा जाता है 'अनडिस्चार्ज्ड इन्सोल्वेन्ट' (undischarged insolvent), ऐसी परिस्थिति में उनका विरोध करना खाली विरोध ही है। ऐसी डिसक्वालिफिकेशन (disqualification) है जो हर एक्ट में, हर जगह प्रोवाइड (provide) की गई है, और इन्हीं शब्दों में प्रोवाइड की गई है। इसलिय मैं निवेदन करूंगा कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय इसको मंजूर करने की कृपा करेंगे।

श्री श्रीदास गोयल]

जहां तक श्री भैरोंसिंह के जो १८० दिन की जगह ३६० दिन और ३ वर्ष की जगह ५ वर्ष के सिलसिले में दो एमेण्डमेण्ट हैं, मैं निवेदन करूंगा कि बहुत अच्छा होगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कारण शहर वाले गांवों में आकर बसें। शहर की जनता को वहां की जनता के बीच में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सुचारु रूप से काम चलाने के साथ साथ अपने को ग्रामीण जीवन से ओतप्रोत करने का मौका दिया जाय। मैं मानता हूं कि ऐसे बहुत से मेम्बर्स हो सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में बहुत बरसों से रहते हों। ग्रामीण जीवन को इसके कारण से अपनाने के लिये १८० दिन का मौका मिलता है तो बहुत से शहर वाले गांवों में जाकर रहें, शहरों को छोड़ गांवों में वे रहना सीखें। १८० दिन को ३६० दिन करने से कोई खास फायदा हो ऐसी बात पैदा नहीं करते हैं जिससे कि कोई बहुत बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हों। मेरे मित्र देवीसिंह जी ने यह फरमाया है कि १८० दिन में...............

श्री भीमसिंह--मेरा नाम देवीसिंह नहीं, भीमसिंह है।

श्री श्रीदास गोयल—माफ करें, ये दोनों बड़े मिलते-जुलते हैं।

दूसरी बात यह है ३ वर्ष और ५ वर्ष के लिये फरमाया है। ऐसा है कि पहले आपने खुद ने निर्णय किया है कि मनुष्य को अपना सुधार करने के लिये मौका देना चाहिये। एक मनुष्य ३ वर्ष में अपना सुधार कर लेता है और अब उसी में अधिक समय बढ़ाने के वास्ते संशोधन भेजते हैं। इस सिलसिले में जो दो सुझाव श्री भैरोंसिंहजी ने दिये हैं उन दोनों सुझावों के विरोध में बोलता हुआ मैं अपने शब्दों को खत्म करता हूं।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ)—अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष--You reserve your energy.

श्री अबनिकुमार--He has got enough.

श्री अध्यक्ष--Depleted it ?

श्री तनसिंह--मैं श्री श्यामलालजी गोयल ने जो अमेण्डमेण्ट नम्बर ६ "undischarged insolvent" का रखा है उसका विरोध करता हूं, यद्यपि यह कुछ संकेतों से, कुछ भावभंगिमाओं से तय हो चुका है कि इसको मान लिया जायगा। लेकिन मैं मंत्री महोदय का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस हाउस की बनी हुई सिलेक्ट कमेटी ने जब पागल आदमियों तक के लिये गुंजाईश दे रखी है कि वह लोग भी इस चुनाव में भाग ले सकते हैं, उनके लिये कोई एतराज नहीं तो फिर दिवालियों के लिये क्यों एतराज होना चाहिये, और पंचायत बिल पर जब विचार-विमर्श हुआ था तो धारा १० में उसकी सब-क्लॉज (२) में जब "or is an undischarged insolvent" यह शब्द लिखे गये थे, जब पंचायत के अन्दर अनडिस्चार्ज्ड इन्सोल्वेन्ट (u : i s harged in o vent)....

श्री अध्यक्ष—You want two mistakes to be repeated ?

श्री तनसिंह—अगर वह कर दिया है "unsound mind" तो भी अनडिस्चार्ज्ड इन्सोल्वेन्ट के लिये मेरे एतराज और भी हैं, इसके अलावा । वह यह है कि जब आपने पंचायत बिल पास किया है तो उसकी क्लॉज १० की सब-क्लॉज (२) में जो "undischarged insolvent" था उसको काफी बहस के बाद माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने स्वयं ने अस्वीकार कर दिया और इस क्लॉज में से यह शब्द अनडिस्चार्ज्ड इन्सोल्वेन्ट जो था यह हटा दिया गया था । अब जो यह कहा गया कि पंचायतों में दिवालिये रह सकते हैं तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में क्यों नहीं रह सकते जब कि उनके द्वारा ही चुने हुए लोग वहां जायेंगे, तो क्या इसी आधार पर, पूंजी के आधार पर, किसी मनुष्य के पास पैसा हो या नहीं हो, मनुष्य को अपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या पंचायत में सेवा करने का मौका नहीं दिया जाय ? इन्हीं चन्द शब्दों के साथ में श्री श्यामलालजी गोयल द्वारा प्रस्तुत किये गये इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, मैंने इसी क्लॉज पर एक अमेण्डमेण्ट रखा था, लेकिन मेरे मित्र श्री भैरोंसिंहजी ने अपना अमेण्डमेण्ट प्रस्तावित किया तो मैंने यह समझा कि मेरे अमेण्डमेण्ट की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जायगी, लेकिन हमारे पक्ष से ही मेरे एक मित्र ने श्री भैरोंसिंहजी के अमेण्डमेण्ट का जब विरोध किया तो मैंने यह वाजिब समझा कि मेरे अमेण्डमेण्ट का हवाला देते हुए मैं अपने मित्र श्री भैरोंसिंहजी के ३६० दिन वाले अमेण्डमेण्ट पर कहूंगा कि वह किस प्रकार से वाजिब है ।

आज राजस्थान के अन्दर यह हो रहा है कि कुछ लोग म्युनिसिपैलिटी के वोटर भी हैं, ग्राम पंचायतों के वोटर भी हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के वोटर भी हैं, और इसी बिना पर वह ३-३ जगह से केन्डीडेट (Candidate) खड़े होने के हकदार हैं, तो हम यह चाहते हैं कि जो ग्रामीण पंचायतों के अन्दर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर चन्दा देंगे, टैक्स देंगे, उस ग्रामीण जनता का यह हक होना चाहिये कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाये जायं उनमें उन्हीं लोगों में से कोई मेम्बर हो ।

हम यह चाहते हैं कि ग्रामीण जनता ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आवे या जो चन्दे लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को टैक्स देते हैं, सेस देते हैं उन्हीं के नुमान्दयों को मेम्बर होने का हक होना चाहिये । साल भर के बजाय ६ महीने की रोक लगाने से जनता के सच्चे प्रतिनिधि बोर्डस् में नहीं जा सकेंगे । आज क्या होता है कि अमूमन वकील लोग, जो गांवों में पैदा होते हैं, जिनके बाप-दादों की गांवों में संपत्ति होती है वे पढ़-लिख कर जब वकालत शुरू करते हैं तो थोड़े दिन तक तो गांवों में या छोटे शहरों में वकालत करते हैं फिर बड़े नगरों में जाकर हाई कोर्ट में वकालत करने लगते हैं और शहरों में मकान बना लेते हैं । अब तो गांवों से आकर जोधपुर, बीकानेर में ही नहीं रह कर जयपुर में आकर बसने लग गये हैं और यहीं पर मकान बनाना प्रारंभ कर दिया है । जो लोग अपनी जिन्दगी शहरों में बिताते हैं वे गांव वालों के दुख-दर्द के बारे में क्या जान सकते हैं ? जब ग्रामीणों पर टैक्स न लगाने की बात आती है तो उसका विरोध किया जाता है और जब शहर के सदस्यों को इस बारे में कहा जाता है तो लोग उनकी बात पर ध्यान नहीं देते । जब शहर वालों पर कर लगाने का सवाल आता है तो सरकार को झुकना पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष--You should come to your relevant point.

श्री मानसिंह महार--(भाषण जारी रखते हुए) इसके बारे में मुझे यह कहना है कि जो इस बिल में १६० दिन की मयाद रखी है उसके साथ साथ यह कर दिया जाता कि जो आदमी म्युनिसिपैलिटी का वोटर है उसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये खड़ा होने का हक नहीं होगा, तो वह चीज उचित होती। माननीय श्री भैरोंसिंहजी ने अमेण्डमेण्ट रखा है कि जो आदमी ३६० दिन तक गांवों में रहता है उसी को खड़े होने का हक होना चाहियें। इसका मतलब यह है कि यदि वह ३६० दिन तक गांव में रह जाता है तो उसको म्युनिसिपल वोटर बनन का हक नहीं होता। इसके विपरीत यदि १८० दिन की छूट गांवों में रहने और १८० दिन तक शहरों में रहने की छूट मिलेगी तो बहुत से लोगों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपैलिटी दोनों के वोटर बनने का हक हो जायगा और वे दोनों ही जगह चुनाव लड़ने और वोट देन के हकदार हो जायेंगे। हमारी सरकार इसे ड्युएल केपेसिटी में लेना चाहती है। मैं उनका विरोध करना चाहता हूं। यदि उप-मंत्री इस बात को मंजूर कर लें कि जो म्युनिसिपल वोटर हैं उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में खड़े होने का हक नहीं है तो मैं आपकी १६० दिन की मयाद को मानने के लिये तयार हूं।

श्री अध्यक्ष--It is 180 and not 160.

श्री मानसिंह महार--१८० समझ लीजिये। तो १८० दिन की बात को तब तो मैं मंजूर कर सकता हूं वरना १८० दिन कोई वकत नहीं रखते। इसलिये यदि आप सही माने में ग्रामीण जनता के रिप्रजेन्टेटिव चाहते हैं, आप यदि यह चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् में वही लोग आवें जो डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् को सेस देते हैं या जो ग्रामीण जनता के हितचिन्तक हैं और उनको फायदा पहुंचा सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि म्युनिसिपल वोटर्स को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये खड़े होने का हरगिज हक नहीं होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से यह मिसाल जरूर दूंगा कि जितने भी जयपुर डिविजन में डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् हैं, सिवाय सीकर के, जितने भी डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् हैं; मालपुरा, सवाई माधोपुर और जयपुर, इनके जो प्रमुख कार्यकर्ता या जो चेयरमेन हैं या उनके लिये जो कुछ कहिये, वे सब म्युनिसिपल वोटर हैं। उनको ग्रामीण जनता की भलाई का कोई ख्याल नहीं है। इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से निवेदन करें कि चाहे वे और अमेण्डमेण्ट स्वीकार करें या न करें लेकिन इस अमेण्डमेण्ट को तो जरूर मंजूर कर लें।

रावजी श्री रघुराजसिंह--अध्यक्ष महोदय, अभी आपने जो निर्णय फरमाया था कि राजस्थान में परमानेन्ट........

श्री अध्यक्ष--I gave no ruling.

श्री रघुराजसिंह--अभी आपने फरमाया था कि यह सब उससे कवर हो जाता है। यदि ऐसी बात है तो १८० और ३६० दिन कोई मानें नहीं रखते।

श्री अध्यक्ष--If you had taken the trouble of reading the report of the Select Committee the point would have been very clear.

[श्री अध्यक्ष]

Now there is one more amendment by Shri Sridas Goel. I can accept it only on the condition that he will not make a speech on it. The amendment is that after Clause 14, sub-clause (2) (h), and (2) (i) there should be another clause (j) to the effect that "(j) is f unsound mind".

श्री गोपीलाल यादव--मुझे श्री भैरोंसिंहजी के अमेण्डमेण्ट के सिलसिले में कुछ कहना था और आपने अमेण्डमेण्ट स्वीकार कर लिया है ।

श्री अध्यक्ष--आपने स्पीच दे दी है । क्या अभी और कुछ कहना चाहते हैं ?
You are not entitled to speak twice.

श्री चन्दनमल वैद (उप-विधि मंत्री)--That he cannot do.

श्री गोपीलाल यादव--मेरा अमेण्डमेण्ट है ।

श्री अध्यक्ष--The Members have expressed their opinion.

श्री गोपीलाल यादव--इस पर मुझे बोलना है ।

श्री अध्यक्ष--You ought to have done it in the same continuation.

श्री अबनिकुमार मुकर्जी--ओन ए पोइन्ट ओफ इन्फॉर्मेशन, सर, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री सबका जवाब अलग अलग देंगे या एक साथ देंगे ?

श्री अध्यक्ष--जवाब एक साथ देंगे ।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)--इस क्लॉज पर बहुत चर्चा हो चुकी है और इसके बारे में मुझे निम्न प्रकार से निवेदन करना है । यहां एक्स्प्लेनेशन के बारे में जो सुझाव दिये गये हैं वे मुझे युक्ति संगत मालूम नहीं पड़े । कुछ ने कहा कि उसे हटा देना चाहिये, कुछ ने कहा कि १८० दिन के बजाय ३६० दिन करना चाहिये । कोई उस क्षेत्र में जाकर रहे या न रहे लेकिन उसका मकान यदि वहां है तो वह भी वहां का प्रतिनिधि मान लिया जायगा, चाहे उसे उस क्षेत्र का परिचय हो या न हो । यदि हम ३६० दिन गांव में रहने की बात मानते हैं तो यह अनुकरणीय नहीं है । एक आदमी ३६० दिन एक ही स्थान पर रहे, ५-१० रोज के लिये भी कहीं बाहर नहीं जावे, यह बात प्रेक्टीकेबल कैसे हो सकती है ? यदि इसे मान लिया जाता है तो धारा सभा के सदस्य तो सब के सब इसके लिये डिस्क्वालिफाइड हो जायेंगे ।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)--३६० दिन तक गांव में रह कर हाजरी करावें, यह मेरा मतलब नहीं था ।

श्री रामकरण जोशी--मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हाजरी कराने की बात नहीं है । यदि कोई १८० दिन तक अपने क्षेत्र में रहता है तो उसके लिये एक तरह से साल भर ही होगया । यदि

[श्री रामकरण जोशी]

उसका मकान वहां पर है या उसकी मिल्कियत वहां पर है और उसके अलावा साल में ६ महीनों तक या आधा साल तक वहां रहता है तो उसका मतलब यह है कि वह ग्रामीण सदस्यों के प्रति जागरूक है ग्रामीणों के प्रति हमदर्द है ।

श्री श्यामलालजी का जो दूसरा अमेण्डमेण्ट है "find" के बजाय "furnish" करने का वह शायद प्रिन्टिंग की गलती रह गई है। इसके बजाय "furnish' कर लेना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--You accept it ?

श्री रामकरण जोशी--जी हां । यह तो सब जानते हैं कि अनसाउन्ड माइन्ड (unsound mind) और अनडिस्चार्ज्ड इन्सोलवेन्ट (undischarged insolvent) मेम्बर बनने के लिये अयोग्यतायें हैं । पंच और सरपंच जो एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं इस संबंध में वोट देते समय अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेंगे और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो वोट देते समय इस प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को अपना वोट देगा ।

अगर सदस्य महोदय, जिन्होंने इस संशोधन को पेश किया है उनका आग्रह हो कि इसको रखा जावे तो मुझे इसको रखने में कोई एतराज नहीं है । इसमें क्लॉज के सिद्धान्तों पर कोई असर नहीं पड़ता । इसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन्स तो है ही; मगर वे ऐसी हैं जिनको सब लोग जानते हैं । बाकी क्लॉज, मैं समझता हूं कि बिलकुल साफ है और उस पर काफी विचार हो चुका है और ज्यादा कहने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अपने अपने अमेण्डमेण्ट्स वापिस ले लेंगे ।

श्री अबनिकुमार मुकर्जी--आपने मेरे अमेण्डमेण्ट के बारे में कुछ नहीं कहा ।

श्री कानसिंह--जिस समय आप अपने अमेण्डमेण्ट पर बोल रहे थे माननीय मंत्री बाहर चले गये थे ।

एक माननीय सदस्य--बाहर नहीं गये थे ।

श्री अबनिकुमार मुकर्जी--उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा ।

श्री अध्यक्ष--He was present when you were speaking.

श्री अबनिकुमार मुकर्जी--Then he must have been inattentive.

श्री गोपीलाल यादव--मैंने जो अमेण्डमेण्ट पेश किया उसका भी कोई जवाब नहीं है ।

श्री रामकरण जोशी--इस प्रकार की बातें हर एक एक्ट में मौजूद रहती हैं । उनके होने का मतलब यह नहीं होता है कि उनका दुरुपयोग ही होगा । यदि कोई अपने प्रयत्नों से यह साबित करदे कि उसने अपना चरित्र और आचरण सुधार लिया है और ठीक तरह से रहने लगे

[श्री रामकरण जोशी]

गया है और सरकार को विश्वास हो जावे कि उसने वाकई में अपना चरित्र सुधार लिया है और उसकी वह डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव कर दी जाये तो मैं समझता हूं कि कोई एतराज की बात क्या हो सकती है ? इसके अलावा प्रोवीजन में ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर श्री अवनिकुमारजी को आग्रह हो।

श्री शंभुसिंह--मैंने भी १४ (ए) पर अपना संशोधन रखा था, उसका भी कोई जवाब मुझे नहीं मिला।

श्री रामकर जोशी--पार्लियामेंट के सदस्यों को भी जगह देनी पड़ेगी, संविधान में यह सब बातें हैं। मैं निवेदन करता हूं कि एम. एल. एज. पर बहुत बड़ी जवाबदारी है।

श्री गोपीलाल यादव--What about my amendment ?

मे० आपजी श्री रघुराजसिंह--The Minister has not thrown any light over my amendment.

श्री गोपीलाल यादव--अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेण्डमेण्ट इस प्रकार था......

श्री अध्यक्ष--क्या आप अपना अमेण्डमेण्ट अब रख रहे हैं ?

श्री गोपीलाल यादव--मैंने अपना अमेण्डमेण्ट पेश कर दिया था। मगर फिर से पढ़ रहा हूं। मैंने अपने अमेण्डमेण्ट में प्रोविजो को बदल देने के लिये प्रार्थना की थी और उसके लिये मैंने कारण भी बतला दिये थे। मेरा अमेण्डमेण्ट इस प्रकार है:--"Provided that he shall not be disqualified on the ground mentioned in sub-clauses (*b*) and (*c*) if more than five years have elapsed from the date of the order."

श्री अध्यक्ष (श्री रामकरण जोशी को संबोधित करते हुए)--यह नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री गोपीलाल यादव--जब वह व्यक्ति किसी प्रकार का कोन्ट्रेक्ट में शेयर या इन्ट्रेस्ट नहीं लेता है तो उसकी यह डिस्क्वालिफिकेशन दूर कर दी जानी चाहिये, जैसी कि क्लॉज (ए) में पांच साल के बाद डिसक्वालिफिकेशन खतम हो जाती है। उसी प्रकार यह भी खतम कर दी जानी चाहिये।

श्री रामकरण जोशी--सब अमेण्डमेण्ट एक दूसरे से मिले जुले हैं और मैंने सबके बारे में निवेदन कर दिया है।

अभी श्री गोपीलालजी यादव ने जो बातें कहीं उनके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात का पता भी लगना चाहिये कि वे इस प्रकार का काम नहीं करते और इसके लिये किसी कोम्पीटेंट ऑथोरेटी (competent authority) को अधिकार दिया गया हो जो यह बतला दे कि वे इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं। जो हेर फेर की बात कही गई है उससे मैं समझता हूं कि कोई मतलब नहीं निकलता। क्लॉज (ए) में ५ साल की जो बात कही वह यहां पर मौजू नहीं होती। एक आदमी ५ साल में अपने आचरण को ठीक कर सकता है। जिस वक्त वह आदमी अपने आचरण को ठीक कर ले उस वक्त उसकी वह डिस्क्वालिफिकेशन हटा दी जा सकती है।

[श्री रामकरण जोशी]

इसलिये मैंने जो अमेण्डमेण्ट स्वीकार किया है वह 'फाइन्ड' (find) के बजाय 'फरनिश' (furnish) और "undischarged insolvent" और "unsound mind" है और इसके सिवाय सारे क्लॉज को ऐसा का ऐसा पास कर दिया जाना चाहिये ।

श्री रघुराजसिंह--Am I not entitled to hear explanation about my amendment ?

श्री अध्यक्ष--Is it at all necessary ?

श्री अवनिकुमार मुकर्जी--It is necessary.

श्री अध्यक्ष--We have spent more than one hour over this clause. It is not so important.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी--I just wanted to emphasize that authority has not been given for removing this disqualification under the Representation of the Peoples Act. Therefore I contend that such authority should not be given to the State Government in the District Boards Bill. It is a very important disqualification and should not be removed. Moreover, the Hon'ble Member-in-charge has not given a satisfactory explanation. Just now the Hon'ble Minister said that in the Panchayat Act we have made a similar provision. I say that he has made a mistake in the Panchayat Act and therefore he should rectify that mistake in this Bill.

श्री अध्यक्ष--Have you explained it ?

श्री अवनिकुमार मुकर्जी--I think I have explained it ? What has the Minister concerned to say to it ?

श्री रामकरण जोशी--I have nothing to add.

श्री अध्यक्ष--You can also reply to his amendment.

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री विधि)--When one thing is rejected it is not necessary to reply.

श्री अध्यक्ष--All right. So the question is that the amendment moved by Shri Shyamlal Goel "that in Clause (14), sub-clause (2) (*b*) at the end add the word "or" and further add the following part to the sub-clause :

'(*i*) is an undischarged insolvent' be accepted.

Page No.41

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

Sub-clause (i) is added after sub-clause (2) (h)

(विराम)

The question is that....

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ)—माननीय अध्यक्ष, मुझे भी अपने संशोधन पर कुछ बोलने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष—You have been asking and intervening since the time the Minister was replying. You were asking for explanation which has already been done. There is nothing more to add to it.

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ)—But, Sir, the explanation has not satisfied me.

श्री अध्यक्ष—The explanation was not for you. It was for the Minister.

The question is that the amendments moved by Shri Bhairon Singh regarding explanation and change of number of years from three to five be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendments fail.

(विराम)

The question is that the amendment moved by Shri Abani Kumar regarding deletion of proviso to clause 14 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that amendment regarding substitution of the word "find" by the word "furnish", moved by Shri Shyamlal Goel be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is that the amendment moved by Shri Sridas Goel for insertion of a new sub-clause (j) i. e., "(j) of an unsound mind" after sub-clause (2) (i) be accepted.

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is that amendment moved by Shri Gopi Lal Yadav to the proviso be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment fails.

(विराम)

The question is that the amendment moved by Shri Raghuraj Singh regarding explanation be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that Clause 14, as amended, be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 14 as amended is added to the Bill.

(विराम)

The question is that Clause 14A as moved by Shri Rawat Shambhu Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is dropped.

(विराम)

श्री भैरोंसिंह (२६)—अमेण्डमेण्ट विदड्रा नहीं किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—क्या आपको कोई अमेण्डमेण्ट रह गया है ?

(विराम)

श्री भैरोंसिंह—श्री मानसिंह वाला अमेण्डमेण्ट रह गया है।

श्री अध्यक्ष—He has not moved it.

खंड १५

श्री श्यामलाल गोयल—संशोधन इस प्रकार है:—"In clause 15 in line 3 the word 'or' between the words 'Municipal Board' and 'any other' be deleted."

अध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज १५ सिलेक्ट कमेटी में जाने से पूर्व इस तरह से था.....

श्री चन्दनमल बैद—यह एरर (error) है और इसको स्वीकार किया जाता है।

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment to Clause 15 by Shri Goel be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is that Clause 15, as amended, be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 15, as amended, is added to the Bill.

खंड १५ ए

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—I beg to move my amendment regarding insertion of a new clause 15A. Should I speak on the......

श्री अध्यक्ष—If you do not want to speak, I have no objection.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—I would like to make a very brief speech.

संशोधन इस प्रकार है:—

"Insert after clause 15 the following new clasue 15A:—

"The question of improper acceptance or rejection of a nomination paper shall in the first instance be decided at the time of scrutiny of the nomination paper by the Returning Officer and persons who are either candidates or registered electors, and are aggrieved by the order of the Returning Officer shall be entitled to file an appeal before the District Judge

[श्री अबनिकुमार मुकर्जी]

within seven days of the passing of the order of the Returning Officer. The District Judge shall decide the matter within a month of the receipt of the appeal—in accordance with procedure prescribed by law or rule to be framed by the State Government under this Act".

अध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन है वह इस बारे में है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के इलेक्शन होने से पूर्व नोमीनेशन पेपर्स की जो स्क्रुटिनी (scrutiny) होती है यानि उस समय यह निर्णय कर दिया जावे कि नोमीनेशन पेपर इम्प्रोपरली एक्सेप्ट हुआ है या वह रिजेक्ट कर दिया गया है और उससे जो चुनाव अवैध हो जाते हैं, वे न हों। यह मैंने इसलिये रखा है कि जब रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के मातहत चुनाव हुए तो इस प्रश्न को डिसाइड नहीं किया गया था और उसका नतीजा यह हुआ था कि इस आधार पर इलेक्शन पिटिशन पेश किये गये थे और जो उम्मीदवार चुने जा चुके थे उनका चुनाव भी अवैध घोषित कर दिया गया। मैं आपको बताऊं कि इस चीज को महसूस करते हुए सेन्ट्रल पार्लियामेण्ट ने रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में यही संशोधन करने के लिये एक विधेयक रखा है। अतः यह जो अमेण्डमेण्ट रखा गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और रचनात्मक दृष्टि से ही रखा गया है। मैं समझता हूं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट जज को उस तरह से नहीं कहा जा सकता है कि वह एक महीने में ही इसका फैसला कर दे।

श्री अबनिकुमार मुकर्जी—आपने क्या कहा, मैंने सुना नहीं।

श्री चन्दनमल बैद (उप-विधि मंत्री)—आप डिस्ट्रिक्ट जज साहब को किस तरह से बांध सकते हैं कि वे एक महीने के अन्दर ही फैसला दे दें?

श्री अबनिकुमार मुकर्जी—आप चाहें तो कुछ समय और बढ़ा सकते हैं।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—यदि आप यह कह सकते हैं कि एक महीने में फैसला हो जाय तो हम कैसे कह सकते हैं कि बारह महीने में फैसला हो जाय। फैसला करना तो उनके अधीन है। वे अपना कार्य-क्रम देख कर ही करेंगे।

श्री अबनिकुमार मुकर्जी—मैं यह नहीं समझ पाया कि एक महीने की अवधि रखने में क्या एतराज हो सकता है? आप रिटर्निंग अधिकारी को अधिकार दे दीजिये।

श्री चन्दनमल बैद—आप बांध कैसे सकते हैं कि एक महीने में ही फैसला दें। वे बारह महीने में भी फैसला दे सकते हैं। जब तक वे फैसला नहीं देते हैं तब तक चुनाव सस्पेण्डेड रहेंगे।

श्री अबनिकुमार मुकर्जी—मैं आपसे यह कहूंगा कि उन्हीं कॉन्स्टियुएन्सीज का चुनाव सस्पेण्ड रहे जिनके बारे में कि फैसला नहीं हुआ है, तमाम कान्स्टिट्युएन्सीज का क्यों रहे? जिन कान्स्टिट्युएन्सीज के लिये फैसला हो चुका है उनके चुनाव तो सस्पेण्ड नहीं रहेंगे।

श्री अध्यक्ष--This is no method of arguing. It is for the Hon'ble Member to speak and wait for reply. After that the Hon'ble Member will have a right of reply.

श्री तनसिंह--अध्यक्ष महोदय, आपके संशोधन का समर्थन मैं एक दूसरी दलील पर भी करता हूं और वह दलील यह है कि हमने इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अन्दर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन बाई सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट (Proportional representation by single transferable vote) के आधार पर रखा है। उससे यह मालूम होना चाहिये कि एक कॉन्स्टिट्युएन्सी में बहुत से मेम्बर चुनाव में खड़े होंगे और उससे वहां सभी पार्टियों को जाने का हक मिलेगा। अगर ऐसे व्यक्ति का नोमीनेशन रिजेक्ट होता है तो फिर वहां एक ही व्यक्ति रहेगा जो उस चुनाव में खड़ा हो सकेगा और वह उस हालत में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन नहीं होगा। मैं इस दलील पर भी इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीदास गोयल--अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री अवनिकुमारजी ने इस अमेण्डमेण्ट के लिये यह दलील दी कि बाद में इलेक्शन पिटिशन करने से काफी दिक्कतें होती हैं और मामला अगर पहले ही ट्रिब्युनल तक पहुंच जाता है तो इन तवालतों से बचा जा सकता है।

इस संबंध में मैं गुजारिश करूं कि जिस तरह से क्लॉज १६ रन करता है वह क्लियर है। केवल नोमीनेशन पेपर के रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने पर ही एक केन्डिडेट के चुनाव में जीतने का निर्णय नहीं हो जाता। बहुत सी माल प्रेक्टिसेज हैं, वोटरों के वोट देने की बातें हैं और ऐसी ही बहुत सी अन्य बातें हैं जो चुनाव के समय से संबंधित हैं। तो इस अमेण्डमेण्ट को स्वीकार करने से एक ही मामले को दो बार अदालत में जाने की गुंजायश पैदा हो जाती है और यह एक बहुत बड़ी प्रेक्टिकल डिफिकल्टी है जिसको सारा हाउस महसूस करता है।

और साथ ही यह भी बात है कि अगर यह अमेण्डमेण्ट स्वीकार किया जाता है तो कितनी ही कठिनाइयां चुनाव में आ सकती हैं जिनका एक डिस्ट्रिक्ट जज जल्दी ही निर्णय नहीं कर सकता; तो अगर उसके सामने एक बार पिटिशन दायर होगी तो न जाने कितने समय तक वह चुनाव ही एडजोर्न्ड (adjourned) रहे, इसका हम अन्दाज नहीं लगा सकते। इसलिये ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को सदन अस्वीकार कर दे।

श्री अवनिकुमार--अध्यक्ष महोदय, मैं इसके जवाब में कुछ कहना चाहता हूं। मेरी दलीलों को तोड़ मरोड़ कर सदन में उपस्थित किया किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--आपको बाद में अवसर दिया जावेगा।

श्री तेजमल बाफना--माननीय अध्यक्षजी, माननीय श्री अवनिकुमारजी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह संशोधन अव्यवहारिक है। यह माना जा सकता है कि एक चुनाव होने के बाद इस बिना पर चुनाव को सेलेक्ट किया जाता है कि नोमीनेशन पेपर्स लीगली रिजेक्ट या एक्सेप्ट हो गये यह दिक्कत हो सकती है। पर इस क्लाज

[श्री नेजमल बापना]

के अन्दर अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो वह दिक्कत अधिक बढ़ जावेगी। हम डिस्ट्रिक्ट जज पर यह पाबन्दी नहीं लगा सकते कि इसका एक महीने में ही फैसला देना होगा। अगर अवधि लंबी भी कर दें तो हम किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बांध नहीं सकते और अगर उनको यह कह दिया जावे कि जिन लोगों के नोमीनेशन पेपर्स के रिजेक्शन या एक्सेप्टेन्स के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आवेदन चला जावे तो उन कांस्टिट्यूएन्सीज का चुनाव ही न हो, तो इससे लोगों को और ऐसे लोगों को जो चुनाव में किसी न किसी प्रकार की बाधा खड़ी करना चाहते होंगे, एक अच्छा मौका मिल जावेगा और केवल तंग करने के लिये ही किसी के खिलाफ कम से कम डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास इलेक्शन पिटिशन कर देंगे कि हमारा आवेदन पत्र गलत रूप से रिजेक्ट हुआ है या दूसरे का एक्सेप्ट किया गया है। तो इस तरह से तो सारे के सारे चुनाव ही हैल्ड अप हो जावेंगे और चुनाव होना ही संभव नहीं होगा और फिर यह भी दिक्कत होगी कि दो-दो बार अदालतों में जाना होगा। एक तो नोमिनेशन पेपर्स के एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के समय और दूसरी बार चुनाव हो जाने के बाद अगर किसी का चुनाव माल प्रेक्टिसेज के कारण हुआ हो या और किसी गलत कारण से हुआ हो तो कोई कह सकता है कि यह चुनाव गलत प्रेक्टिसेज के कारण हुआ है। इसलिये इसे वॉइड डिक्लेअर कर दिया जावे। तो यह सब काम जब कि एक बार जाने से वहां हो सकता हो वहां दो दो बार कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा, कानूनी दिक्कतें कई प्रकार की आवेंगी और लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी, चुनाव में देर होने की संभावना हो जावेगी। ये तो वैसे ही इनडाइरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं, इनके लिये खर्चे की कोई खास बात भी नहीं है।

अगर नोमीनेशन पेपर्स गलत या सही रिजेक्ट भी हुआ हो तो चुनाव के बाद भी उसे चेलेंज किया जा सकता है।

तो इस तरह से आप यह नहीं कह सकते कि इस इलेक्शन के करने से खर्चा ज्यादा बढ़ जावगा या दिक्कतें बढ़ जावेंगी। इससे तो दिक्कतें और कम ही होंगी, समय बचेगा और अगर इलेक्शन पिटीशन स्वीकार हो गई तब भी दुबारा इलेक्शन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और जल्दी भी हो सकेगा।

तो इन सब कारणों से मैं समझता हूं कि यह संशोधन उचित नहीं है और सदन से निवेदन करता हूं कि इसे स्वीकार न किया जाय। मैं माननीय प्रस्तावक महोदय से भी प्रस्ताव करूंगा कि ऐसी परिस्थितियों में आपका यह संशोधन अव्यवहारिक है और जिस मुसीबत को आप इसके द्वारा टालने की बात कहते हैं वह टलेगी नहीं, बल्कि और बढ़ेगी ही। इसलिये इस संशोधन को आप वापिस ले लें।

श्री **कानसिंह**--ओन ए पॉइन्ट आफ इन्फॉर्मेशन, सर, आपने इस चीज का जिक्र नहीं किया कि केन्द्रीय सरकार भी इस तरह का अमेन्डमेन्ट करने जा रही है।

श्री चन्दनमल बैद (उप मंत्री, विधि)--This is an indirect election. The elections under the Representation of the Peoples Act are direct.

श्री भैरूसिंह (डि० सं० १६)—यह जवाब माननीय उप-मंत्री महोदय ने व्यक्तिगत हैसियत से दिया है या उप-मंत्री की हैसियत से ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर ! !

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता था कि मेरे मित्र श्री श्रीदासजी गोयल ने जो कहा उसका जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि नोमिनेशन पेपर्स के रिजेक्शन और एक्सेप्टेन्स को ही इन्डिपेन्डेन्ट ग्राउन्ड नहीं बनाया जा सकता, इलेक्शन पिटीशन के लिये करप्ट प्रेक्टिसेज आदि आरोपों का लगाना भी जरूरी है यह बात सही नहीं है। खण्ड १६ के उप-खण्ड (२) में यह साफ साफ लिख दिया गया है कि:—

"(2) The election of any person as a member of a Board shall not be questioned—

(*a*) on the ground that the name of any person qualified to vote has been omitted from, or the name of any person not qualified to vote has been inserted in the electoral roll or rolls,

(*b*) on the ground of any non-compliance with this Act or any rule or of any mistake in the forms required thereby, or of any error, irregularity or informality on the part of the Officer or Officers charged with carrying out this Act or any rules, unless such non-compliance, mistake, error, irregularity or informality has materially affected the result of the election."

ये इलेक्शन पिटिशन के लिये ग्राउन्ड बन सकते हैं और दूसरी जो बातें कही गई हैं उनके लिये यही कहूंगा कि वे impracticable नहीं है। माननीय सदस्य इन सब चीजों को ठीक दृष्टि से सोचते नहीं हैं इसलिये उन्हें बात ऐसी ही मालूम देती हैं। मैं कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव जल्दी ही होने वाला है। उसमें जब नामिनेशन पेपर्स improperly accepted या rejected होंगे और फिर इलेक्शन पिटीशन्स (election petitions) दायर होंगी तो सरकार को पता लगेगा कि चुनाव में वास्तव में क्या दिक्कतें होती हैं और तब मालूम पड़ेगा कि हमने जो संशोधन रखे हैं वे ठीक थे। अगर, इनको आप स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं यह मानकर चलता हूं कि विरोधी पक्ष का कोई भी युक्तियुक्त संशोधन आपको स्वीकार नहीं है। बस इतना ही कहकर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment for the insertion of a new clause 15A be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is **lost.**

(विराम)

Now we come to *Clause* 16.

खण्ड १६

श्री अवनिकुमार मुकर्जी--अध्यक्ष महोदय, मैं इन मेरे संशोधनों को जो मैंने क्लाज १६ व १७ पर रखें हैं, अब इस सदन के सामने प्रस्तुत करना मुनासिब नहीं समझता क्योंकि अगर १५ ए वाला मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाता तो इनको मूव करने में मुझे खुशी होती पर चूंकि वह अस्वीकार कर दिया गया इसलिये मैं इन्हें मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष--Clause 17 is not called. Do you want to announce before it is taken.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी--I just wanted to clarify that they were consequential amendments. Therefore I do not want to move them.

श्री अध्यक्ष--There is one amendment, just now given to me by Shri Man Singh in Section 16, sub-section (2), "Delete sub-clauses (a) and (b)".

श्री चन्दनमल वैद--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पहले ही अपनी दिक्कत पेश कर चुका हूं कि अगर आखिरी मौके (moment) पर अमेन्डमेन्ट आया करेंगे तो हम कैसे उस पर विचार कर सकेंगे? यह अहम मसला है। हम कानून बना रहे हैं उसमें ऐन मौके पर संशोधन अगर आवें और उन पर हम पूरा विचार न कर सकें तो फिर उस पर कोई उचित निर्णय किया जा सकता है?

श्री मानसिंह महार--माननीय अध्यक्ष......

श्री अध्यक्ष--I am sorry I cannot allow it.

श्री मानसिंह महार--संशोधन पर न सही, क्लॉज पर तो बोलने की आज्ञा दीजिये।

श्री चन्दनमल वैद--हां, जरूर।

श्री मानसिंह महार--माननीय अध्यक्ष, मैं इस क्लाज का विरोध करता हूं।

(अल्प विराम के अनन्तर)

अभी तक क्लाज १६ मूव नहीं हुआ है इसलिये माननीय अध्यक्ष, आप इसे मूव कर दें।

श्री अध्यक्ष--We take it as moved.

श्री मानसिंह महार--Right Sir.

माननीय अध्यक्ष, सदन के समक्ष राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल को १६ वां क्लाज आया है। इसके बारे में मुझे निवेदन करना है कि यह एक बड़ा ही घातक क्लाज है।

[श्री मानसिंह महार]

इस क्लाज् १६ के पार्ट (२) में जो उप-खंड (ए) और (बी) हैं वे तो और भी अधिक घातक हैं और इन क्लाजेज के रहते हुए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि सदन को इस क्लाज १६ को डिलीट कर देना चाहिये। अब मैं इसके लिये अपनी वजूहातें सदन के सामने रखता हूं जिनके आधार पर कि मैं इस क्लाज् १६ का विरोध करता हूं :

माननीय अध्यक्ष, सोलहवें क्लाज के द्वितीय उप-खण्ड में जो (ए) और (बी) सब क्लाजेज् हैं वे इस प्रकार से हैं :—

"(a) On the ground that the name of any person qualified to vote has been omitted from, or the name of any person not qualified to vote has been inserted in the electoral roll or rolls ;

(b) on the ground of any non-compliance with the Act or any rule or of any mistake in the forms required thereby, or of any error, irregularity or informality on the part of the Officer or Officers charged with carrying out this Act or any rules, unless such non-compliance, mistake, error, irregularity or informality has materially affected the result of the election."

माननीय अध्यक्ष, मैं यह बताना चाहता हूं कि इसके अन्दर जो यह आखिर में लिखा गया है कि "materially affected the result of the election", यह तो जब तक सिविल जज के सामने नहीं जायगा तो कौन तय करेगा कि मैटिरियली इफेक्टेड हुआ है या नहीं और यह कह देना और इस प्रकार की बार लगा देना तो न्याय का गला घोटना है। मैटिरियली इफेक्ट इलेक्शन होता है या नहीं यह बात तो तभी तय हो सकती है जब कि इलेक्शन पिटीशन दायर हो और इसके बाद सिविल जज यह फैसला करे कि फलां बात से इलेक्शन मैटिरियली इफेक्ट हुआ या नहीं। यही चीज तो रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स एक्ट में है और जो चुनाव की पद्धतियां हैं उनमें भी इलेक्शन पिटीशन द्वारा ही यह बात तय होती है। इस प्रकार अगर आप कानून द्वारा बार लगा देते हैं कि किसी भी बात पर कोई अनियमितता नहीं हुई तो सदन को आप किस तरह उन अनियमितताओं को बतायेंगे कि यह इर्रेग्युलरिटि इस तरह हुई। तो यह बड़ी गड़बड़ की चीज है। मैं इसको बड़ा घातक क्लाज मानता हूं। इसलिये सदन से अपील करूंगा कि इस प्रकार के क्लाज को वे हर्गिज मंजूर न करें। अतः आशा करता हूं कि इस क्लाज को मंजूर न करते हुए सदन सर्व सम्मति से इसको डिलीट करदे। मैं क्लॉज १६ का विरोध करता हूं और विरोध करते हुए सदन से अपील करता हूं और माननीय मंत्रीजी से अपील करता हूं कि वे चक्करबाजी में न पड़कर सीधी सादी बात को रखने के खातिर इस क्लाज् को डिलीट करदें। अगर वे इस क्लाज् को मंजूर कर लेंगे तो बाद में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा किन्तु इसको नामंजूर करने से सब दिक्कतें दूर हो जायेंगी।

श्री मंगलसिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष महोदय .....

श्री अध्यक्ष—Just listen to me. When the Speaker is on his legs no member should stand. I do not contest the right of speech of the Hon'ble Members, but when I see that a member was also a member of the Select Committee and he has given a sufficient number of amendments on this simply for making a speech, then he should place a restriction upon himself. He tabled an amendment. His amendment was replied to. He wanted to speak and he spoke. It is not necessary for every member to speak on every clause, otherwise it will become impossible to proceed with the Bill. We should have a little consideration about our responsibility to the work which we have to do in the House still.

(श्री भैरूसिंह को सम्बोधित करते हुए)

Well, you want to reply !

श्री भैरूसिंह—मुझे भी कुछ निवेदन करने दीजिए, मैं अपनी रेस्पोन्सीबिलिटी को फील करते हुए कुछ कहना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष—Well there is nothing. I presume that all the Members are very responsible.

(श्री भैरूसिंह बोलने के लिये खड़े हुए)

There is no amendment moved by you. You have moved so many amendments. The Hon'ble Members have heard one shade of opinion, which has just been spoken.

(विराम)

The question is that Clause 16 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 16 is added to the Bill.

खण्ड १७

श्री अध्यक्ष—We now take Clause 17 as moved. There is an amendment by Shri Abani Kumar, but he does not want to move it.

(विराम)

The question is that Clause 17 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 17 is added to the Bill.

खण्ड १८ व १९

Clauses 18 and 19

(विराम)

The question is that Clauses 18 and 19 be accepted.

(स्वीकृत)

Clauses 18 and 19 are added to the Bill.

Page No.51

[श्री अध्यक्ष]

खण्ड २०

Clause 20, Shri Shyam Lal Goel.

श्री श्यामलाल गोयल--संशोधन इस प्रकार है :-

"In clause 20, in the second line insert the word 'thereunder' between the words 'by rule' and 'the procedure'."

माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज २० में मेरा अमेन्डमेन्ट बिल्कुल फॉर्मल है जो कि मतलब को साफ करने के लिए है। यह क्लॉज इस तरह का है :-

"Except so far as may be otherwise provided by this Act or by rule......"

श्री चन्दनमल वैद (उप-न्याय मंत्री)--इसको मान लिया गया है।

श्री अध्यक्ष--इस क्लॉज २० (ई) में श्री मद्दार ने एक अमेन्डमेन्ट जो पेश किया है वह इस प्रकार है :-

"In Section 20 proviso—(e), the words occurring after '1908' beginning from 'but there shall be.......' and ending in 'decision of the Court' be deleted."

विराम

There is another amendment to clause 20, proviso (e) by Shri Yadav just given to me, which is as under:—

"Substitute proviso (e) to clause 20 by the following:—

"(e) An appeal against the order of the District Judge shall lie to the High Court only on a question of law".

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, विधि)--माननीय अध्यक्ष, कई बार प्रार्थना कर चुके हैं कि एन वक्त पर अमेन्डमेन्ट आते हैं उन पर विचार करना संभव नहीं। (Because there will be no end to this. On each and every clause we are receiving several amendments.

श्री अध्यक्ष--I am sorry the objection will prevail.

एक सदस्य--Then we should be allowed to oppose the amendment.

श्री अध्यक्ष--It is virtually putting in the amendment. It is not a fresh Bill. It has been considered by the Select Committee. The Hon'ble Member should feel responsibility in tabling these amendments before time because when we consider the Bill clause by clause and at el ve th m men we receive

Page No.52

[श्री अध्यक्ष]

amendments like this, it is very difficult for the House to consider it. Thus for the Treasury Benches as also for me it becomes difficult to understand the intention and purpose of the amendments. I am, therefore, afraid I cannot allow the Members to speak. It will be substantially allowing the amendments.

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, क्या अपोज (oppose) करने का भी हक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—Go on opposing every inch.

श्री मानसिंह महार—एवरी इन्च (every inch) नहीं, जो वाजिब है उसके लिए निवेदन है।

श्री गोपीलाल यादव—यह क्लॉज ही ऐसा है कि इस पर अमेन्डमेन्ट देने पड़ते हैं।

श्री अध्यक्ष—But why do you sleep over your rights? This was circulated amongst Members long ago. One could imagine that he (Shri Man Singh) was ill, but this was circulated to you: you could have given your amendment yesterday, you could have gone through the Bill. I want to give you every facility. I do not want to curtail your right of putting in amendments. But I am pained to say that your right is not being used properly. I have no objection in your moving the amendments, but there must be some time limit within which the Hon'ble Members could consider all these amendments.

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, श्रीमन् को मैं धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि इसको मूव (move) करने की मुझे इजाजत दी।

श्री अध्यक्ष—You can make a speech as regards the amendment. The amendment will be taken as moved.

श्री गोपीलाल यादव—मैं अमेन्डमेन्ट पर ही बोलूंगा................

श्री अध्यक्ष—(श्री रामकरण जोशी को सम्बोधित करते हुए) Unless you oppose it.

श्री चन्दनमल बैद—We do not accept it.

श्री अध्यक्ष—Let him have his say.

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, यह क्लॉज २० बहुत ही अहम है। क्लॉज २० के अन्दर जो सब क्लॉज (ई) है वह इस प्रकार है :—

"(e) during the hearing of the case the Court may refer a question of law to the High Court under Order XLVI of the first Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908, but there shall be no appeal on a question

Page No.53

[श्री गोपीलाल यादव]

of law or of fact and no application in revision against or in respect of the decision of the Court :"

माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि अगर यह रख देते कि इलेक्शन की अपील ही नहीं होगी तो मुझे कोई एतराज नहीं होता क्योंकि जब हम अदालतों में इतना रखते हैं कि कहीं कोई अदालत इन्साफ नहीं कर दे तो इलेक्शन पिटीशन की क्या जरूरत थी। जिस वक्त हमारे मित्र खड़े होंगे, इलेक्शन पेपर एक्सेप्ट (accept) हो जायेंगे, वोटर्स वोट भी देंगे, अब इलेक्शन पिटीशन (election petition) आप करना चाहते हैं और इलेक्शन पिटीशन के लिए ट्रिब्यूनल को बन्द करके डिस्ट्रिक्ट जज को रख रहे हैं न कि हाई कोर्ट के जज को और फिर डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के लिए आप कहना चाहते हैं कि उसकी कोई अपील नहीं होगी। दुनिया में, मैं चलेन्ज करता हूं, कि संसार के अन्दर कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि लॉ के प्वाइन्ट पर भी कोई अपील नहीं होगी। अगर आप संसार में कहीं भी कोई ऐसी मिसाल दे देंगे कि लॉ के प्वाइन्ट पर अपील एलाउ नहीं की गई तो मैं आज असेम्बली से इस्तीफा देकर अपनी सीट खाली कर दूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम कोई चीज सोच विचार कर की जाय। मैं अपनी गलती को महसूस करता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि मुझे इसको पढ़ना चाहिए था, लेकिन कम से कम मैं आपकी सद्भावना पर और संसार के लोगों के लिए न्याय दिलाने के लिए यह उम्मीद करता हूं कि अगर कोई इम्पोर्टेन्ट (important) अमेन्डमेन्ट आ जाय तो आप निक आफ दी टाइम (nick of the time) पर भी उसे मन्जूर कर लीजिये, ऐसे अमेन्डमेन्ट पहले भी एक्सेप्ट किये गये हैं। अगर कोई रुकावट डाल रहे हों तो ठीक है, न किया जाय; लेकिन यह चीज हमको देखने को मिली है कि तथ्यों के ऊपर अपील नहीं एलाउ (allow) करते हैं, लेकिन यह इलेक्शन के वक्त चन के ऊपर भी, लॉ के प्वाइन्ट के ऊपर भी अपील एलाउ नहीं करेंगे और रिवीजन भी नहीं एलाउ करेंगे। मैं आपको बतलाऊंगा कि ऐसे ऑर्डर्स देखने में आयेंगे डिस्ट्रिक्ट जजेज के कि जिनमें आप कहेंगे कि ये ऑर्डर बिल्कुल ही गलत हैं। संसार में मर्डर के मामलों में, किन्हीं दूसरे मामलों में हर अपील दो-दो, तीन-तीन बार करते हैं। फैक्ट की अपील भले ही नहीं ली जाय। जब छोटे छोटे मामलों पर फैक्ट की अपील ले लेते हैं तो फिर इसमें क्या आपत्ति है। वे लॉ कि ऐसी गल्तियां करते हैं कि कह नहीं सकता। यह चीज बड़ी अहमियत की है। तो फिर इस पर और अपील या रिवीजन लॉ के प्वाइन्ट पर रोकना किसी तरह मुनासिब नहीं है। मैं मेरे मित्र स्वायत्त शासन मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इस चीज पर विचार करें। अभी वे कोई निश्चय नहीं कर सकें तो इस क्लॉज को कल के लिए रोक लें, लेकिन यह निहायत जरूरी है कि इसमें लॉ के प्वाइन्ट पर रिवीजन या अपील नहीं रोकी जाय।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज २० इस बिल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। इस पर मुझे खेद है कि बीमारी की वजह से पहले अमेन्डमेन्ट नहीं दे सका, फिर भी कृपा हुई कि मेरा अमेन्डमेन्ट मन्जूर कर लिया गया है। मैं कहता हूं कि सिविल जज का जो फैसला है अगर उसकी अपील हाईकोर्ट में या कहीं भी नहीं हो सकेगी तो यह तो बड़ी अन्यायपूर्ण चीज है। जब तक क्लॉज २० के प्रोविजो (ई) में से शब्द '१९०८' के बाद यह जो शब्द हैं; "but there shall be no

[श्री मानसिंह महार]
appeal either on a question of law or of fact and no application in revision against or in respect of the decision of the Court ;" नहीं- हटाये जाने हैं तब तक मैं, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके जरिये इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, कि इलेक्शन पिटीशन में न्याय कभी नहीं होगा। सिविल जज, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन आपको यह कह सकता हूं कि जिस पार्टी की भी सरकार होगी, कोई मौजूदा पार्टी के लिए ही नहीं कह रहा हूं, कुछ दिनों के बाद दूसरी पार्टी की भी सरकार आ सकती है, तीसरी पार्टी की भी सरकार हो सकती है, का ऐसा ऊंचा ओहदा नहीं है। उस पर पार्टी की तरफ से दबाव आ सकता है, गवर्नमेन्ट की तरफ से दबाव आ सकता है। इसके अलावा कोई केन्डीडेट (candidate) इन्फ्ल्युएन्शल (infl ential) हो तो वह भी किसी तरह का दबाव अपनी तरफ से ला सकता है। तो उसके जो फैसले हों उसकी अपील हाई कोर्ट में होनी चाहिए। यह एक निहायत लाजमी चीज है और म तो यह कहना चाहता हूं कि जब छोटी छोटी बातों के लिए अपील हाई कोर्ट में हो सकती है तो ऐसे इलेक्शन जैसे अहम मामले की अपील को रोका जाय यह ठीक नहीं। यह सरासर अन्याय की चीज है। मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से और इस सदन से अपील करूंगा कि इस प्रकार का जो क्लाज है, जो कि अपील तक की गुंजाइश नहीं रखता है, उसे सरकार को अवश्य हटा देना चाहिए।

अभी मेरे जवाब में माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी यह फरमायें मैं कि हम तो यह नहीं चाहते कि मुकद्मे बाजी बढे। मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि उनके पास ५० तरीके हैं, दुनियां का अगर भला करना चाहते हो तो मुकद्मे बाजी को रोक लें। आप जितने कानून बनाते हैं वह उसी लाइन पर बना रहे हैं कि मुकद्मे बाजी बढती ही जाये। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चुनाव की जो चीज है उसमें आप यह न समझें कि मुकद्मे बाजी बढती है। मगर जहां पर अन्याय होता है, वाकई में जहां पर अन्याय होता है वहां इलेक्शन अपील्स की जाती है। इसलिए सदन से आपके जरिये, अध्यक्ष महोदय, अपील करूंगा कि प्रोविजो (ई) में जो '१९०८' के बाद तीन लाइनें हैं उनको सदन को जरूर डिलीट (delete) करना है। मेरी यह न्याय की मांग है और उचित मांग है। इस काम को करके, मैं समझता हूं, यह सदन उचित काम करेगा।......

श्री चन्दनमल वैद (उप-मन्त्री विधि)—माननीय अध्यक्ष, इस बात पर सहमत हुआ जा सकता है कि "but there shall be no appeal on the question of fact ;" इसके सिवाय जो शब्द हैं उनको निकाल दिया जाय।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, इतने से काम चल जाता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—काम तो जैसा पहले था उससे भी चल जाता।

श्री गोपीलाल यादव—उससे नहीं चल सकता था।

श्री अध्यक्ष—इसमें ऐसा है कि लॉ पोइन्ट को रेफर कर सकते हैं। "during the hearing of the case the court may refer a question of law to th High Court....." then becomes redundant.

[श्री अध्यक्ष]

Any way, I have no objection.

श्री गोपीलाल यादव—यह इस प्रकार बन जाता है :

"During the hearing of the case the Court may refer a question of law to the High Court under Order XLVI of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908, but there shall be no appeal on a question of fact."

श्री अध्यक्ष—The amended clause (c) remains thus:—

"During the hearing of the case the Court may refer a question of law to the High Court under Order XLVI of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908, but there shall be no appeal on a question of fact."

श्री जयनारायण सिंह—क्या यह मंजूर हो गया है ? Has the Minister accepted it ?

श्री अध्यक्ष—No, no. The Hon'ble Minister has so moved. Does the Member-in-charge want to delete the provision regarding revision also ?

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, विधि)—I want to delete the provision regarding revision also.

श्री श्रीदास गोयल—On a point of suggestion, Sir, may I request that this is an important point of law and........

इस बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि आया इसकी अपील या रिवीजन हो सकती है या नहीं। इस सिलसिले में लीगल पोइन्ट्स देखने हैं। इसलिए कंसीडरेशन के लिए कल रखा जाय तो ज्यादा उचित होगा।

श्री अध्यक्ष—Then I will not allow further debate.

श्री श्रीदास गोयल—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पीपल्स रिप्रजन्टेशन एक्ट (रिप्रजेन्टेशन ऑफ पीपल्स एक्ट) और पार्लियामेन्ट के दूसरे एक्ट्स में इस प्रकार की अपील या रिवीजन का क्या प्रोविजन है और उनको ध्यान में रखते हुए यहां यह प्रोवीजन रखना सुविधाजनक होगा या नहीं, इन सारी बातों की स्टडी करनी होगी। यह ऐसी समस्या है कि जिसके लिये थोड़ा समय देना आवश्यक होगा।

श्री अध्यक्ष— (What is the sense of the House. Should we defer this clause.)

(स्वीकृत)

Clause 20 is deferred.

[श्री अध्यक्ष]

खण्ड २१,२२ एवं २३

The question is that Clauses 21, 22, and 23 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 21, 22 and 23 are added to the Bill.

खण्ड २४

Now we come to Clause 24.

(विराम)

क्लोज २४ में श्री अवनिकुमार का अमेन्डमेन्ट है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मेरा संशोधन क्लॉज २४ के प्रोविजो को डिलीट करने के बारे में है। इस प्रोविजो में यह बतलाया गया है कि यदि कोई केन्डिडेट किसी इलक्शन कोर्ट द्वारा करप्ट प्रेक्टिस के कारण डिस्क्वालिफाइड कर दिया जायगा तो ५ साल के लिये वह फिर चुनावों में खड़ा नहीं हो सकेगा। ऐसी सूरत में यदि उसकी इस डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव करने का अधिकार सरकार को दिया जाता है तो वह फिर खड़ा हो सकता है। मेरी समझ में नहीं आता कि किस आधार पर यह बात रखी गई है। रिप्रजेन्टेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अनुसार किसी को करप्ट प्रेक्टिसेज के कारण कोर्ट ने डिस्क्वालिफाई कर दिया है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव करने के लिये स्टेट गवर्नमेन्ट या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को कोई पावर नहीं दी गई है। मैं समझता हूं ऐसे केन्डीडेट्स को जिन्हें करप्ट प्रेक्टिश के कारण डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव करने का अधिकार किसी स्टेट गवर्नमेन्ट को दिया जाय तो वह सत्ता के दुरूपयोग की एक अच्छी मिसाल है। मैं माननीय मंत्रीजी से कहूंगा कि मेरा यह जो रीजनेबल एमेन्डमेन्ट है उनको स्वीकार करने की उदारता वे दिखावें। सरकार के लिये अनावश्यक शक्ति हड़पना अच्छी बात या शोभनीय चीज नहीं है। उनको वह शक्ति अपने हाथ में रखनी चाहिये जिसका प्रयोग ठीक तरह से किया जासके। बेजा शक्ति हड़पना मुनासिब नहीं है और इसी चीज को सामने रखते हुए मैंने यह संशोधन पेश किया है।

श्री कानसिंह—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मेरे लायक दोस्त श्री मुकर्जी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। इस प्रोविजो की जो मंशा है उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार एक ज्युडिशियल अदालत के फैसले में दस्तन्दाजी करना चाहती है। ज्युडिशियरी और एग्जीक्युटिव का सेपरेशन जो किया गया है, वह कई सिद्धान्तों को लेकर किया गया है। ज्युडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्युटिव के सेपरेशन को यदि न माना जायगा और एग्जीक्युटिव इस प्रोविजो के जरिये ज्युडिशियरी में दस्तन्दाजी करेगी तो मेरे ख्याल से जो कानून बनाने वाले का मकसद है या जिस उद्देश्य से कानून

Page No.57

[श्री कानसिंह]

बनाये जाते हैं उन उद्देश्यों को एक तरफ रख कर इस प्रोविजों के जरिये सारे अधिकार हडप कर लिये जायेंगे। इसमें डिक्टेटरशिप की भावना की झलक मिलती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस एमेण्डमेंट को मंजूर किया जाय।

श्री खेतसिंह--अध्यक्ष महोदय,...............

श्री अध्यक्ष—I think it is very clear.

श्री खेतसिंह—Hence the Minister concerned may accept it.

श्री अध्यक्ष—If he has no objection.

श्री खेतसिंह—He must accpet your views.

श्री अध्यक्ष—I do not think, I expressed any views.

श्री खेतसिंह--यदि उप-मंत्रीजी इसे स्वीकार कर लेते हैं तो मैं अपनी बकवास बन्द करदूं।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)--उप-मंत्रीजी को जरा समझा दीजिये।

श्री चन्दनमल वैद--मैं समझता हूं इतनी लियाकत तो मुझे में है।

श्री खेतसिंह--अध्यक्ष महोदय, श्री मुखर्जी का संशोधन यह है कि जब एक कोर्ट किसी को डिस्क्वालिफाइड बता देता है तो गवर्नमेन्ट को कोई हक नहीं है कि उस डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव करके उस आदमी को वापिस चुनाव में खडा होने का अधिकार दे दें। यह साफ बात है जिसे हम हमेशा देखते हैं और यह प्रेक्टिस है कि जब स्टेट और प्राइवेट पार्टी के बीच झगडा होता है तो कोर्ट्स को इन्डिपेन्डेन्ट समझ कर कोर्ट के पास फैसला कराने के लिये जाते हैं। प्राइवेट पार्टीज के आपस के झगडे तो कोर्ट्स द्वारा तय किये ही जाते हैं पर गवर्नमेन्ट और पार्टीज के झगडे भी कोर्ट द्वारा तय किये जा सकते हैं। जब कोर्ट यह तय कर देती है कि माल प्रेक्टिस (mal practice) के कारण फलां आदमी को डिस्क्वालिफाइ किया जाता है तो आपके पास उसके बाद यह गुंजायश नहीं रहनी चाहिये कि आप उसकी डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव करदें और उसे फिर से चुनाव में खडा होने का मौका दे दें। इसलिये आपको ऐसे प्रोविजो नहीं रखने चाहियें।

श्री रामकरण जोशी--मैं इस एमेन्डमेन्ट को मंजूर करता हूं।

श्री अध्यक्ष—The question is that the Amendment be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

Page No.58

[श्री अध्यक्ष]

(विराम)

The question is that Clause 24, be accepted, as amended.

(स्वीकृत)

Clause 24, as amended, is added to the Bill.

खण्ड २५

Now we take Clause 25.

(विराम)

There is one amendment tabled by Shri Man Singh, which is regarding addition of clauses (*f*) and (*g*) to clause 25.

श्री चम्पालाल (उप-मंत्री, विधि)—मैं तो बारबार प्रार्थना कर चुका हूं।

श्री अध्यक्ष—The objection will prevail.

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, सदन के सामने.................

श्री अध्यक्ष—Instead of speaking on this clause, you can make a speech tomorrow. By that time your other amendments will be ripe and you will have the opportunity of making a speech on it?

श्री मानसिंह महार—These can be inserted as fresh clauses.

श्री अध्यक्ष—Unless the Members have objection.

श्री श्रीवास गोयल—Sir, the objection will prevail.

श्री अध्यक्ष—I want to announce to the House that the amendments which the Hon'ble Members want to move, if they table them today at 3.00 P.M. I can' accept them and if they come even a minute later, I will reject all those amendments. These will be move by the Hon'ble Members tomorrow.

(विराम)

The question is that Clause 25 be accepted.

स्वीकृत

Clause 25 is added to the Bill.

[श्री अध्यक्ष]

खण्ड २६, २७ व २८

Clauses 26, 27 and 28

(विराम)

The question is that Clauses 26, 27 and 28 be accepted.

रावत श्री मानसिंह--There is an amendment to Clause 27 by me.

श्री अध्यक्ष--It is immaterial.

(तीनों खण्ड स्वीकृत)

Clauses 26, 27 and 28 are added to the Bill.

खण्ड २९, ३० व ३१

Clauses 29 and 31 (खण्ड ३० प्रवर समिति द्वारा पहले ही निरसित हो जाने के कारण)

(विराम)

The question is that Clause 29 and 31 be accepted.

(स्वीकृत)

Clauses 29 and 31 are added to the Bill.

खण्ड ३२

Clause 32. There is one amendment by Shri Abani Kumar.

श्री अबनीकुमार मुकर्जी--अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट क्लॉज ३२ पर सब-क्लाज (२) और (३) को हटाने के बारे में है। क्लॉज ३२ में यह बात अच्छी तरह से बता दी गई है कि कौन कौनसे काम करने से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य को उसके पद से हटा दिया जावेगा। जब ये सब बातें इस क्लाज के सब-क्लाज (१) में ही बतला दी गई हैं तो फिर (२) और (३) की जरूरत ही नहीं रहती। मुझे इसमें यह ऐतराज है कि यह सब-क्लाजेज (२) और (३) वेग (निरर्थक) हैं। जब सब-क्लाज (१) इतना साफ है तो फिर सब-क्लॉजेज (२) और (३) को रखने से क्या मतलब है? अगर को रखा जाता है तो मैं यह कहूंगा कि इसका भी दुरुपयोग हो सकता है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऐसे सदस्य जो कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं उनको परेशान करने के लिये यह उप-खण्ड काम में लाया जा सकता है। बस इतना ही कह कर मैं अपना संशोधन सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

रावत श्री मानसिंह (९७)--माननीय अध्यक्ष, सिलेक्ट कमेटी में भी क्लाज ३२ के अन्दर जो (२) व (३) उपखण्ड रखे गए हैं उनका मैंने विरोध किया था। क्लाज ३२ का जो सब क्लॉज

रावत श्री मानसिंह]

(१) (ए) से लगाकर (एफ) तक हैं, वे बिलकुल साफ हैं। उनके होते हुए इसके अन्दर (२) और (३) सब-क्लॉजिज को बढ़ाना सरासर अन्यायपूर्ण बात है।

श्री तनसिंह—"When the State Government proposes to take action under this section, an opportunity of explanation shall be given to the member concerned and when, such action is taken, the reasons therefor shall be placed on record."

रावत श्री मानसिंह—It relates to sub-clause (2).

श्री अध्यक्ष—It relates to both.

श्री मानसिंह महार—सब-क्लॉज (२) इस प्रकार है।

"(2) The State Government may remove from a Board a member who in its opinion has so flagrantly abused his position as a member of the Board as to render his continuance as a member detrimental to the public interest."

इसको पास करना मानो सरकार को एक ब्लेंक चेक देना होगा और किसी भी बोर्ड के सदस्य के लिये सरकार यह कह सकती है कि बोर्ड की जो पोजिशन है उसको इन इन बातों से फ्लेगरेन्टली एब्यूज (abuse) किया है इसलिये उस सदस्य को हटाया जाता है। इस प्रकार का अधिकार, स्वायत्त शासन संस्था के खिलाफ सरकार को देना सरकार को एक प्रकार से नादिरशाही-हक देना है। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि जब खण्ड ३२ के ए, बी, सी, डी, ई, एफ में साफ लिख दिया गया है तो फिर यह बात जो रखी गई है वह महज सरकार को इस बात के लिये एप्रोवर (approve) करने के लिए रखी गई है कि सरकार बोर्ड के सदस्यों पर अपना दबाव रख सके, उन पर अपनी धौंस रख सके कि अगर तुमने ज्यादा चीं चपड़ किया तो तुमको अपनी पोजिशन से हटा दिया जावेगा।

इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जो यह सब-क्लॉज (२) है वह एक सरासर अन्याय की बात है और सरकार को यह चाहिये कि इस सब-क्लॉज को जो हटाने की मांग की गई है उसको सरकार मंजूर करे और यह बात बता दे कि सरकार बोर्ड्स के जो मेम्बर्स हैं उनको किसी भी प्रकार से दबाना नहीं चाहती है। किन्तु सरकार की नियत तो यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स इमानदारी से काम करे। अगर इमानदारी से काम नहीं करते हैं। "ए से एफ" की बातें हैं। वे मेम्बर को डिबार कर देती हैं अतः सरकार को इसे वापिस ले लेना चाहिए।

श्री तनसिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है वह संशोधन यह है कि क्लॉज ३२ के सब-क्लॉजिज (२) और (३) हटा दिए जाय। मैं समझता हूं कि यह ठीक प्रकार से पेश नहीं किया गया है। इसमें जरूर मेरा मतभेद है। सब-सेक्शन (३) इस प्रकार है:—

[... तनसिंह]

(3) When the State Government proposes to take action under this section, an opportunity of explanation shall be given to the member concerned and when such action is taken the reasons therefor shall be placed on record.

[illegible] नहीं है। सब-सेक्शन २ को हटा देने से मेरा ख्याल है कि घास के साथ बाजरा को भी काट लिया जायेगा ।

श्री चन्दनमल वैद--(उप-मन्त्री, विधि)--इनकी मन्शा तो यही है ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी--मेरी मंशा तो यह नहीं है। यदि मेरी गलती होती तो उसको मान लेता किन्तु गलती आप अपनी नहीं मान रहे हैं।

केप्टिन श्री सज्जनसिंह--अध्यक्ष महोदय, सिलेक्ट कमेटी में जो सुझाव दिया गया था उसको अगर ध्यानपूर्वक पढा जाता और उस पर ध्यान दिया जाता तो मेरे खयाल से इस सम्बन्ध में पोजिशन क्लियर हो जाती। मेरे मित्र ने जिस प्रकार के रीजन्स दिए हैं वे इसमें नहीं आते हैं। इस क्लाज के सब-क्लाज २ को रिटेन करने के लिए सिलेक्ट कमेटी ने जो रेफर किया और जिस नतीजे पर वह पहुँची है वह इस प्रकार है :—

"The Committee feel that a member of the Board should be removed only when he abuses his position flagrantly." and by the word "flagrantly" we mean "so flagrantly as to render his continuance as a member detrimental to the public interest."

तो यह ऐसा कारण है कि इतना बड़ा ओफिस बियरर बोर्ड के पॉवर्स को एब्युज करता है और अगर उसको क्वालिफाई कर दिया जाता है तो वह ठीक नहीं है। अगर उसको रिमूव नहीं किया जायगा तो उसका रिटेन्शन बोर्ड के इन्ट्रेस्ट में नहीं होगा और इसलिए उसको आगे जाकर सब-क्लाज (२) में क्लेरिफाई किया गया है कि:—

"as to render his continuance as a member detrimental to the public interest."

मैं समझता हूं कि यह सारा क्लॉज क्लियर है और इतना क्लियर प्रोविजन होने की हालत में इस संशोधन को प्रेस किया जाना अनावश्यक है। मैं श्री अवनिकुमारजी से अनुरोध करता हूं कि इस प्रोविजन की स्पिरिट को देखते हुए वे इसे वापिस ले लें।

श्री गोपीलाल यादव--यदि श्री अवनिकुमारजी इसको वापिस ले लें तो अच्छा है।

(राज्य पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

श्री अवनिकुमार मुकर्जी–In that case I beg leave to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Abani Kumar to withdraw his amendment?

(आज्ञा प्रदान की गई)

Leave granted.

Page No.62

श्री अबनिकुमार मुकर्जी—I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष—The question is that Clause 32 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 32 is added to the Bill.

खण्ड ३३ एवं ३४

Now we come to Clauses 33 and 34.

श्री तनसिंह—ओन ए पोइन्ट ओफ ऑर्डर, सर,

क्लोज २४ में प्रोविजो को हटा दिया गया और क्लोज ३३ में उसी प्रोविजो का अधिकार रख दिया गया है तो इससे शब्द "... 2" रिडन्डेंट हो जाते हैं। इसलिए 's 2' रिडन्डेंट होने के कारण इसमें से हटा दिये जायें। स्टेट गवर्नमेन्ट को डिसक्वालिफिकेशन को रिमूव करने के जो पॉवर्स दिए गये हैं उनका अब सवाल ही नहीं रहता है।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत शासन मंत्री)—इसका ताल्लुक क्लॉज २२ से है।

श्री अध्यक्ष—क्लोज ३३ के प्रोविजो में इस प्रकार कहा गया है

"Provided that if a member is removed as aforesaid because he is or becomes subject to any of the disqualifications specified in section 14 and 24, he shall not be so eligible unless and until such disqualification is removed by an order of the State Government."

श्री तनसिंह—सेक्शन २४ का प्रोविजो हटा दिया गया है और उससे गवर्नमेन्ट के पास डिसक्वालिफिकेशन को रिमूव करने का अधिकार नहीं रहता, अतः इस प्रोविजो में "एण्ड २४" शब्द हटा दिए जाने चाहियें।

श्री गोरोलाल यादव—अगर माननीय मित्र ध्यान से देखें तो उनको मालूम होगा कि.....

श्री अध्यक्ष—On a close reading it will be very clear. It is necessary to retain this Proviso.

(विराम)

The question is that Clauses 33 and 34 be accepted.

(स्वीकृत)

Clauses 33 and 34 are added to the Bill.

खण्ड ३५

Clause 35. Shri Abani Kumar.

Page No.63

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय अध्यक्ष, मेरा क्लाज ३५ में संशोधन है कि लाइन २ में "otherwise than with the permission in writing of the Commissioner" शब्दों को डिलीट कर दिया जाय। अब मैं क्लाज ३५ की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अब सेक्शन ३५ इस प्रकार है :

"A member of the Board, who, otherwise than with the permission in writing of the Commissioner, knowingly acquires or continues to have directly or indirectly by himself or his partner any share or interest in any contract or employment with, or on behalf of the Board shall be deemed to have committed an offence under section 168 of the Indian Penal Code."

इसके अन्दर यह कहा गया है कि कोई मेम्बर डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली बोर्ड के किसी कॉन्ट्रेक्ट और एम्प्लोयमेंट में शेयर रखता है तो वह इन्डियन पीनल कोड की धारा १६८ के मातहत अपराधी है। इसमें कमिश्नर की परमीशन की छूट रखी गई है। मेरी समझ में यह नहीं आया कि केवल कमिश्नर की परमीशन ले लेने से इतनी बड़ी डिसएबिलिटी कैसे रिमूव हो जाती है? मैं समझता हूं कि इसका मतलब यह हुआ कि कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेम्बर अगर अपनी पोजीशन को मिसयूज (mis-use) करना चाहता है तो इस क्लाज में कमिश्नर की परमीशन लेकर उसको इस प्रकार की लिबर्टी (liberty) मिल सकती है। इस लिबर्टी को खतम करने के लिए ही मैंने यह सजेशन (suggestion) दिया है। मैं समझता हूं कि यह कोई बात नहीं है कि इसको यदि स्वीकार कर लिया जायगा तो इस बिल में कोई कमी आ जायगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि अगर इस तरह की बातें बिल से निकाल दी जायं तो एक्ट अच्छा बनेगा। इस एक्ट को हम इस तरह से बनाएं कि वह डेमोक्रेटिक सिद्धान्तों के अनुकूल माना जाय। इन बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं अपना संशोधन पेश करता हूं।

श्री कानसिंह—अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेन्डमेन्ट अभी मि० मुकर्जी ने रक्खा है उसका मैं भी इन शब्दों के साथ समर्थन करता हूं कि जब एक क्लाज के अन्दर एक चीज को जुर्म करार दिया गया तो उसी जुर्म को मिटाने की उम्मीद में कमिश्नर द्वारा इजाजत ले कर रफा-दफा कर देना सर्वथा कानून की मंशा के खिलाफ है।

जिस चीज से जुर्म बनता है तो उस जुर्म से बचाना भी, चाहे वह बचाने वाला सरकारी अफसर हो या सरकार ही हो, सरकार और सरकारी अफसर दोनों भी उस जुर्म की मदद देने के मुजरिम होंगे। तो मुकर्जी ने जो प्रस्ताव किया वह ठीक है।

श्री अमृतलाल यादव (उप-मंत्री, विधि)—माननीय अध्यक्ष, मेरे माननीय मित्र अगर क्लाज १४ की प्रोविजो को पढ़ जावें तो सारी बात उनकी समझ में आ जावेगी। क्लाज ३५ में जो चीज है वह उसी पर आश्रित है। इस वास्ते जो एक चीज पहले पास की जा चुकी है तो इसको अगर आप पास नहीं करेंगे तो उस पहले वाली क्लाज का कोई मतलब नहीं रहेगा, बल्कि दोनों में काम्प्लीकेशन हो जावेगा इसलिए मैं मेरे माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—It is related to the proviso to Clause 14.

श्री अबनिकुमार—As I have read it, I am opposed to it. I cannot reconcile myself to it. I would like to exercise my right of opposition.

इसलिए कहना चाहता हूं कि यह चीज जो मैं पेश कर चुका हूं उससे इस चीज की ओर मैं केवल पाइन्ट आउट करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment of Shri Abani Kumar be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that Clause 35 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

खण्ड ३६—क्लाज ३५ बिल में अंग रूप से जोड़ा गया ।

Clauses 36 to 41.

(विराम)

The question is that Clauses 36, 37, 38, 39, 40 and 41 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 37, 38, 39, 40 and 41 are added to the Bill

खण्ड ४२

Clause 42, Shri Abani Kumar.

श्री अबनिकुमार मुकर्जी—मेरा संशोधन क्लॉज ४२ को डिलीट करने के बारे में है। यह "Removal of Chairman" से सम्बन्धित है । यह मोस्ट अनडेमोक्रेटिक क्लॉज है । बोर्ड जनता द्वारा चुना हुआ होता है और उसके समस्त सदस्य जनता द्वारा चुने हुए होते हैं और चेयरमेन चुना हुआ है तब सरकार को यह अधिकार कैसे दे दिया जावे कि वह जनता द्वारा इलेक्टेड बोडी के इलेक्टेड हेड को जब चाहे तब हटा सके ।

मैं यह कहता हूं कि जो कार्य (फंक्शन्स) असाइन किये (सौंपे) गये हैं चेयरमैन को, अगर वह उनके विरुद्ध जाता है तो बोर्ड के मेम्बर्स उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं और अविश्वास का प्रस्ताव पास हो सकता है तो यह अवश्यक हो जाता है कि चेयरमेन अपनी कुर्सी छोड़ दे । तो यह चेयरमेन के विरुद्ध, अगर वह गलत काम करता है तो, कार्यवाही करने का अधिकार सदस्यों

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

के हाथ में सुरक्षित है, तो फिर ऐसी हालत में यह अधिकार सरकार क्यों लेना चाहती है, मैं यह जानना चाहता हूं। ऐसी क्या खास बात है कि अगर यह अधिकार सरकार के पास नहीं रहा तो इस कानून को सुचारू रूप से कार्यान्वित नहीं कर सकते। मैं इस बारे में सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूं और आशा करता हूं इस सदन से कि अगर यह स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं दिया जाता तो इस अप्रजातान्त्रिक क्लॉज को पास नहीं किया जाय। किन किन सिद्धान्तों और आपत्तियों को सामने रखते हुए आपने इस क्लॉज को सम्मिलित किया है और इस सम्बन्ध में जब आपका स्पष्टीकरण मिल जावेगा तो मैं विचार करूंगा कि यह संशोधन पर स्टिक करना है या इसे विद्ड्रॉ करना है।

श्री अध्यक्ष—Have you moved it ?

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Yes, Sir.

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, इसका जवाब मिनिस्टर महोदय पहले दे दें तो फिर हम बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष—You were ill. So I will put a restriction on your speeches.

(श्री भैरोंसिंह वि० स० १६ के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—You have changed your seat, so I will not allow.

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है इसलिये हमें बोलने की इजाजत दी जावे।

श्री अध्यक्ष—You hear the explanation.

(विराम)

We can prolong the debate, but you hear the explanation and be satisfied. There are so many checks.........

श्री हिम्मतसिंह—इसके अन्दर जो शब्द है "Habitual failure" इसकी डेफिनिशन क्या है ?

श्री अध्यक्ष—You like the words ?

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ इस तरह की चीज चल रही है और इस पर अगर हमें विचार प्रकट नहीं करने दिया गया तो..................

श्री अध्यक्ष—I will not allow you from this seat....

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—Then, Sir, I am going to my seat

(अपनी बैठक पर जाने के पश्चात्)

[श्री भैरूसिंह]

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री अवनिकुमारजी मुकर्जी ने जो अपना संशोधन रखा है उसके सम्बन्ध में मुझे अपने विचार व्यक्त करने हैं। अध्यक्ष महोदय, जब से यह बिल सदन में विचारार्थ आया है उस वक्त से यह एक नजीर सदन के समक्ष है कि एक तरफ से अधिकार दिये जाते हैं और दूसरी ओर उन्हीं अधिकारों के लिये गढा खोद दिया जाता है। एक जगह एक सेक्शन में वे कुछ अधिकार जनता को देते हैं तो दूसरी जगह दूसरे सेक्शनों द्वारा वे अधिकार छीने जाने के लिये दूसरा गढा आता है कि वे जो अधिकार जनता को दिये गये हैं सब गढे में गिर जाते हैं। इस सम्बध में भी मेरा यही कहना है। यह भी एक खडडा तैयार किया गया है जिसमें पहले दिये गये अधिकारों का हनन हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—This is Select Committee Report. You should keep it in mind and then criticize ?

श्री चन्दनमल वैद (उप- मंत्री, विधि)—जिसके मेम्बर आप लोग भी थे।

श्री भैरूसिंह (डि० नं० १६)—हम इस प्रकार के कानून बनाने के विरुद्ध हैं, इसका हम बार विरोध करेंगे और इसी कारण में इस संशोधन का समर्थन कर रहा हू। जगह जगह इस बात का अनुभव किया गया है कि जो चीज, जो अधिकार जनता को एक हाथ से दिया गया है वह दूसरे हाथ से छीनने की पूरी कोशिश इस बिल में की गई है। जगह जगह इस बिल के प्रोवीजनों द्वारा सरकार को यह अधिकार दे दिया गया है कि कोई भी बोर्ड का सदस्य, अगर सरकार यह समझे कि वह पब्लिक के इन्टरेस्ट के खिलाफ कार्य कर रहा है तो उसे हटा दे। यह अधिकार ही सरकार के लिये काफी था। पर बोर्ड के किसी चेयरमैन को इस तरह से हटाये जाने का अधिकार देना अप्रजातान्त्रिक होगा।

यह बोर्ड का चेयरमैन जनता द्वारा चुना जाता है तथा जनता का और जनता द्वारा बनाये गये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्यों का उसमें विश्वास होता है। अगर उस चेयरमैन ने कुछ ऐसे काम किये हैं जो कि जनता के हित में नहीं हैं तो जनता द्वारा चुने हुए बोर्ड के सदस्यों को यह अधिकार है कि वे उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाकर उसे हटा दें। पर सरकार को ऐसा कौनसा खतरा पैदा हो गया है कि वह सारे मेम्बरों की आवाज को बन्द करके चेयरमैन को हटाने की कोई आज्ञा स्वयं दे ! मैं समझता हूं कि अगर सरकार को ऐसी जरूरत आ भी पड़ी हो तो उसे इसके लिए जनतान्त्रिक तरीकों से हटाने का मार्ग अपनाना चाहिये और वह प्रजातान्त्रिक तरीका यही हो सकता है कि अविश्वास का प्रस्ताव पेश करवाया जाकर ही उसे हटाया जावे। जब मेम्बर्स यह चाहते हों कि यह व्यक्ति उस बोर्ड का चेयरमैन रहे, जनता यह बात चाहती है कि वही व्यक्ति बोर्ड का चेयरमैन रहे तो फिर सरकार के पास उसकी ऐसी कौनसी शिकायत आ जाती है कि जिससे सरकार ऐसा आदेश देने के लिए तैयार हो जाती हो ? जनता की उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं, उस बोर्ड के सदस्यों की, जिसका की वह चेयरमैन है, कोई शिकायत नही तो फिर ऐसा कौनसा व्यक्ति है जिसकी तरफ से यह शिकायत की जाती हो या किये जाने की सम्भावना हो जिसके आधार पर जिसकी शिकायत को मानकर सरकार को उस चेयरमैन को हटाने का अधिकार अपने में लेने की इच्छा प्रबल हो उठे। अगर कोई इनडाइरेक्टली शिकायत सरकार के पास आती है और उस पर वह अधिकार लेना चाहती है तो यह प्रजातान्त्रिक ढंग नहीं होगा।

[श्री भैरूंसिह]

दूसरी चीज जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि किसी बोर्ड के मेम्बर के खिलाफ उसकी किसी कार्यवाही को लेकर अन्य मेम्बरों में या जनता में असन्तोष है और सरकार यह देखती है कि वह वास्तव में असन्तोष ठीक है तो अभी हमने एक धारा पास की है उसके द्वारा उसको हटाने की सरकार की इच्छा पूरी हो सकती है, पर चेयरमैन को हटाने का जो प्रश्न है उसके पीछे सरकार की गन्दी नीति की झलक दिखायी दे रही है। जिस तरह से उन्होंने जयपुर की म्युनीसिपल कौंसिल के चेयरमैन को अलग करके और म्युनिसिपल कौंसिल को सुपरसीड करके यह साबित कर दिया है कि सरकार जनता की भावनाओं को कुचलने के लिए कटिबद्ध है उसी तरह किसी भी बोर्ड के चेयरमैन को हटाकर वहां की जनता की भावनाओं को कुचलने में सरकार इस धारा का उपयोग करेगी। यह मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं। मैं यह मानने को कभी तैयार नहीं कि यह सरकार, जिसने जयपुर म्युनीसिपल कौंसिल को जनता की इच्छा के विरुद्ध भंग कर दिया इस क्लाज द्वारा दिये जानेवाले अधिकार का दुरुपयोग नहीं करेगी और सदुपयोग करेगी। यह अधिकार सरकार को देना कभी जनता के हित में नहीं हो सकता, बोर्ड के मेम्बरों के हित में नहीं हो सकता। अगर किसी के हित में हो सकता है तो वह सत्तारूढ़ दल की पार्टी के हित में हो सकता है, सत्तारूढ़ दल के हित में हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार, मैं समझता हूं, कि आज यह सत्तारूढ़ दल अपने बहुमत के बल पर ले लेगी पर मैं सदन के माननीय सदस्यों से और माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा, यह अपील करूंगा जनतन्त्र के नाम पर कि वे इस अधिकार के द्वारा जनता की भावनाओं को निर्दयता से कुचलने का प्रयत्न न करें। पर यदि यह सरकार जनता की भावनाओं को कुचलने का प्रयत्न करेगी तो जनता की भावना उबाल खाएगी और एक तूफान के रूप में वह फूट पड़ेगी। जनता की भावना फुटबाल की तरह है। फुटबाल को आप जितना जोरसे दबाएंगे, ठोकर लगाएंगे वह ऊंची उठेगी, आगे बढ़ेगी। इसी तरह से ये कानून बना कर और इस तरह के अधिकार बहुमत के बल पर लेकर अगर सरकार ने जनता की भावनाओं को कुचलने का इसी प्रकार दुस्साहस किया तो इस तरह जनता की भावनाएं नहीं कुचली जा सकेंगी, इतिहास इस बात का साक्षी है। चेयरमैन को हटाने सम्बन्धी अधिकार अपने हाथ में लेना सरकार द्वारा जनतान्त्रिक समाज के अधिकारों को कुचलने का दुस्साहस है, सरकार अपनी इस पालिसी को छोडने को तैयार नहीं. अतः मेरी सदन से प्रार्थना है कि सरकार को ऐसा अप्रजातान्त्रिक अधिकार न दें जिसके कि दुरुपयोग से जनता की भावनाओं को कुचला जा सके; जिस प्रकार कि इस सरकार ने जयपुर की म्युनिसिपल कौंसिल को सुपरसीड करके जनता के सामने एक उदाहरण रक्खा है।

श्री अध्यक्ष:—ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, यह जो क्लाज ४२ है उसको पढ़ते हैं तो हम लोगों को ऐसा मालूम देता है कि भैरूंसिह जी का कहना वाकई सही है। किन्तु अगर हम इसके प्रोवीजो को गौर से पढ़ेंगे तो दूसरी बात हमारी समझ में आती है। यह बात समझ में आती है कि पहले सेक्शन में जहां मेम्बरों को हटाने का अधिकार दिया गया है उसी जरिये से एक मेम्बर की हैसियत से

[श्री गोपीलाल यादव]

गवर्नमेन्ट उस चेयरमेन को हटा सकती है । लेकिन उसके चेयरमेन होने के नाते उसमें यह फेरफार किया गया है कि अगर चेयरमेन को हटाना है तो बोर्ड के सामने वोट आफ नो कोन्फीडेन्स आना चाहिए। अगर बोर्ड के सदस्य चेयरमेन के इन्फलुएन्स में आकर वोट आफ नो कोन्फीडन्स नहीं रखते हैं तो गवर्नमेंट वोट ऑफ नो कोनफीडेन्स बोर्ड के सामने रख सकती है, उसके बाद में गवर्नमेन्ट एक्शन लेती है, यह बड़ी क्लियर पोजिशन है । नो कोन्फीडेन्स रखने पर भी यदि बोर्ड कहता है कि नहीं हमारा चेयरमैन अच्छा है चेयरमेन के खिलाफ यदि अविश्वास का प्रस्ताव है तो वह हमारे खिलाफ है, तो ऐसी हालत में चेयरमेन को छोडकर सारे बोर्ड के खिलाफ सरकार एक्शन लेती है । इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह संशोधन वापिस लिया जाय तो अच्छा हो ।

श्री भीमसिंह--अध्यक्ष महोदय, श्री अवनिकुमारजी ने जो संशोधन रखा है उसके बारे में सिलेक्ट कमेटी में भी विचार हुआ था, गवर्नमेन्ट रिफ्यूज करे तो अलग बात है। मैं सिलेक्ट कमेटी द्वारा संशोधित क्लाज ४२ के तृतीय पंक्ति की ओर आपका ध्यान दिलाउंगा

"A further restriction should be placed on the power of the Government in the matter of removal of the Chairman by providing that such removal shall take place only after consulting the Board."

जब बोर्ड को कन्सलटेशन का मौका दे दिया गया है और चेयरमेन को अपने सारे कडक्ट (condect) सामने रखने के लिये, अपना ब्योरा पेश करने के लिए मौका दिया गया है तो इसमें दूसरी कोई गुन्जाइश नहीं रह जाती है । इस क्लॉज को रखने का खास मकसद यह था, जैसा कि अभी श्री भैरूंसिह ने फरमाया, अगर चेयरमेन या उसके मेम्बर्स मिल कर एक गुट बना लें और ऐसी हरकतें होने लग जायं कि जिससे डिस्ट्रिक्ट के हित की जगह अनहित हो जाय तो इसके लिए इस तरह का रास्ता निहायत जरूरी हो जाता है और जो माइनोरिटी में रहने वाले हैं उन पर बोर्ड किसी तरह ज्यादती करने लग जाय, कुछ बेजा हरकतें उनके साथ करना शुरू करे, अपनी पोजीशन का मिसयूज (misuse) करना शुरू करे तो उनके लिए इसके सिवाय रिलीफ का रास्ता यही रह जाता है । उनके सामने एक ही रास्ता रह जाता है और वह कि मेजोरिटी की हरकतें को गवर्नमेन्ट के सामने रखे, गवर्नमेन्ट से प्रार्थना करे और गवर्नमेन्ट के पास यह बात साबित करे ताकि वह बोर्ड के चेयरमेन को हटा सके, मेम्बरों को हटा सके। यह क्लाज ३२ और ३५ से इन्टररिलेटेड (Inter related) है।

जिस समय इस प्रकार का प्रस्ताव सिलेक्ट कमेटी में रख दिया गया था उसमें यह साफ खुलासा कर दिया गया था तो गवर्नमेन्ट की तरफ से यह कहा गया कि अगर चेयरमेन की तरफ से पॉवर का मिसयूज होने लगे और माइनोरिटी पर किसी किस्म की बेजा हरकतें करने लगें तो उसको रोकने के लिये यह रखा गया है। इन शब्दों के साथ में श्री अवनिकुमारजी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने अमेन्डमेन्ट को वापिस लेंगे ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी--माननीय अध्यक्ष, मैं सरकार की तरफ से इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)--आपकी शंकायें निर्मूल हैं। यह क्लाज बिल्कुल सही है। जैसा कि प्रोविजो देखकर श्री गोपीलालजी ने अपनी राय दी है उससे आपको भी प्रभावित होना चाहिये और आप मेरे से और क्या आश्वासन चाहते हैं ?

श्री राज हिम्मतसिंह—माननीय अध्यक्ष,मेरा जरा सा अमेन्डमेन्ट है उसको स्वीकार करलें तो अच्छा है। "habitual failure" जरा कानों को कडा मालूम देता है। उसकी जगह यदि "repeated failure" शब्द काम में लाया जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री चन्दनमल बेद—He is very much afraid of 'habitual'.

श्री हिम्मतसिंह—अगर इसकी जगह "repeated failure" बैठ जाय तो कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--"Habitual" will be difficult for the ear ?

श्री अवनिकुमार मुकर्जी--माननीय अध्यक्ष, सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर की हैसियत से श्री भीमसिंह जी ने जो कुछ इस विषय में कहा उससे मुझे संतोष नहीं हुआ। जब हम डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों पर अमल करने जा रहे हैं तो इस क्लॉज को जो कि अनडेमोक्रेटिक है, कभी भी मैं समर्थन नहीं कर सकता। इसलिये जो कुछ स्पष्टिकरण आपने किया उससे मुझे संतोष नहीं है। हालां कि मैं जानता हूं कि मेरा संशोधन गिर जायगा फिर भी मजबूर होकर इस अमेन्डमेन्ट को प्रेस करना पडता है। इससे यह पता चल जायगा कि जो इस कलाज को रखने की अनडेमोक्रेटिक प्रणाली हाउस काम में बरती जारही है उसका मैं विरोध करता हूं। अतः मैं अपना संशोधन वापिस लेने केलिए तैयार नहीं हूं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, इसके पहले कि आप इस क्लॉज को पास करें मैं कुछ क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। यह "habitual" जो शब्द यहां प्रयोग किया गया है वह कहां से और किस एक्ट से लिया गया है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—यह इसी एक्ट का शब्द है, हेबीचुअल के मायने हैं कि जिसकी बारबार जुर्म करने की आदत पड़ गई हो।

श्री अध्यक्ष—This has been taken from the Criminal Tribes Act.

श्री चन्दनमल बेद (उप-मंत्री विधि)--यह चेम्बर्स की डिक्शनरी से लिया गया है।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—It is in the U.P. District Boards Act.

मेजर. श्रापजी श्री रघुराजसिंह—The U.P. have committed a mistake but we cannot make the same mistake.

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment by Shri Abani Kumar to Clause 42 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment fails.

(विराम)

The question is that Clause 42 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 42 is added to the Bill.

खण्ड ४३

Clause 43. Shri Abani Kumar.

श्री प्रवनिकुमार मुकर्जी—I do not want to move it. I should be allowed to withdraw.

श्री अध्यक्ष—Not moved. We shall take it as not moved. The question is that Clause 43 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 43 is added to the Bill.

खण्ड ४४

Clause 44.

(विराम)

The question is that Clause 44 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 44 is added to the Bill.

खण्ड ४५

Clause 45, Shri Shyam Lal Goel.

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष, जो अमेन्डमेन्ट मैंने भेजा था और कापी टाइप हुई उसमें थोड़ा सा फर्क है।

श्री अध्यक्ष—आप अपना ओरीजिनल (मूल संशोधन) पढ़ लीजिये।

श्री श्यामलाल गोयल—"In clause 45, sub-clause (c), delete the following "unable to preside at a meeting" etc. upto "likewise unable", and in its place insert the following:—

"The Chairman or the Vice-Chairman are unable to preside at the meeting.

एक सम्मानित सदस्य—In the copies that we have got, the word 'Vice-Chairman' is not available.

श्री श्यामलाल गोयल—(जारी रखते हुये) यह ओरीजिनल संशोधन है, जिस तरह भी हो उसको पढ़ें तो उससे मतलब साफ मालूम नहीं होता है।

"When for reasonable cause unable to preside at a meeting of the executive committee and when the Vice-Chairman are also likewise unable, to nominate one of the members of the Executive Committee as its Chairman for that particular meeting."

यह क्लॉज (सी) है, जिसमें चेयरमेन को अख्तियारात दिये गये हैं कि अगर वह किसी मीटिंग में किसी कारणवश एब्सेन्ट (अनुपस्थित) रहे और वाइस चेयरमेन भी किसी कारणवश नहीं आ सके तो एक्जीक्युटिव कमेटी (executive commitee) के किसी मेम्बर को वह उसका चेयरमेन नोमीनेट कर सकता है, यह उसका सेन्स है। दरअसल में जो उसका मकसद है वह इस लेंग्वेज (language) से है जो इस वक्त इस क्लॉज में मौजूद है; उससे वह क्लियर (clear) नहीं होता है। मैंने जो एमेन्डमेन्ट किया है उस अमेन्डमेन्ट से जो इसका सेन्स (sense) है वह बिल्कुल क्लियर हो जाता है। क्लाज के ओरीजिनल सेन्स को क्लियर करने के लिए मैंने यह अमेन्डमेन्ट इस सदन के समक्ष पेश किया है। मैं यह समझता हूं कि यह अमेन्डमेन्ट किसी सिद्धान्त के ऊपर या इस बिल पर असर नहीं डालता है, लेकिन यह है कि जो फ्रेमर्स ऑफ दी एक्ट (framers of the Act) हैं उनका जो असली मकसद था वह इस अमेन्डमेन्ट से पूरा होता है। इसलिए इस अमेन्डमेन्ट को मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि उसको मन्जूर कर लिया जाय।

श्री चन्दनमल बेद (उप-मंत्री, विधि)—इसमें लेंग्वेज रिकास्ट (language recast) करने का सवाल है इसलिए इसको कल के लिए डेफर ('dafer') कर दिया जाय। वह माननीय मेम्बर से बात करके रीकास्ट कर लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष--For such a trifling matter ?

(विराम)

It is only recasting the language of the clause. So they might do it and place it before the House to-morrow. So is it the leave of the House to defer this clause ?

(स्वीकृत)

Clause 45 is deferred.

एक माननीय सदस्य--The time is up.

श्री मानसिंह महार--The time is over.

श्री अध्यक्ष--There are 20 minutes to 12.30. This clock (the clock of the House) is ten minutes fast.

एक आवाज--No, Sir.

श्री अध्यक्ष—We started work 15 minutes late.

श्री जसवन्तसिंह—We started exactly at 8.35, Sir.

खण्ड ४६–५०

Now clause 46, 47, 48, 49 and 50.

(विराम)

The question is that Clauses 46, 47, 48, 49 and 50 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 46, 47, 48, 49 and 50 are added to the Bill.

खण्ड ५१

Clause 51. Amendment by Shri Shyam Lal Goel.

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष, इस क्लाज में मेरे २ अमेन्डमेन्ट्स हैं। एक अमेन्डमेन्ट तो बिलकुल फोर्मल (formal) है क्योंकि वह लेग्वेज (भाषा) से सम्बन्ध रखता है जो कि ठीक नहीं बैठती है। सब-क्लाज (२) इस प्रकार है।

"The Chairman, or in his absence from the District, the Vice-Chairman may convene a meeting whenever he thinks fit and shall upon a requisition made in writing by not less than one-fifth of the members of the Board and served on the Chairman or sent by registered post acknowledgement due addressed to the District Board at their office....

इसमें जो शब्द "their" है तो इसमें मैंने यह अमेन्डमेन्ट मूव किया है कि इस "देअर" के बजाय "its" होना चाहिए। [एक आवाज–But "their" is right.——]

श्री अध्यक्ष—आप जरा अच्छी तरह से सोचिये।

श्री श्यामलाल गोयल :—Because it is addressed to the Chairman.

एक सदस्य—"His" होगा।

श्री श्यामलाल गोयल—"his" हो सकता है लेकिन "their" गलत है।

श्री अध्यक्ष—"their" is pronoun for........?

श्री राज हिम्मतसिंह— (वि० सं० ६१) "her" भी हो सकता है।

श्री श्यामलाल गोयल—मैंने अर्ज किया कि मुझे कोई आब्जेक्शन (objection) नहीं है कि "its" के बजाय "his" हो जाय।

श्री अध्यक्ष—Let it be a life-less thing.

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—Where District Board is interpreted as an institution, we take it in plural.

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, विधि)—" their" is a pronoun for "District Board". so it is perfectly correct.

श्री श्यामलाल गोयल—I am afraid I do not follow.

श्री अध्यक्ष—Everybody can collect it at the office of the District Board.

श्री राज हिम्मतसिंह (वि० सं० ६१)—यू. पी. का जो है उसमें भी "देअर" ही लिखा हुआ है क्या? (हंसी)

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, विधि)—जी हां।

श्री श्यामलाल गोयल—I may read it:—

"The Chairman or sent by registered post acknowledgement due addressed to the District Board at their office....."

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, ग्रामेटिकली (grammatically) अगर यह "their" रखा जाय तो फिर वह चीज गलत हो जायगी। "acknowledgement due addressed to the District Board at their office" के मायने यह होंगे कि तमाम मेम्बरों को देना पड़ेगा क्योंकि जिस वक्त कलेक्टिव नाउन (collective noun) को बहु वचन में इस्तेमाल करते हैं, जब उसके मायने मेम्बर्स ऑफ दी बोर्ड (members of the Board) इन्डिवीजुएली (individually) होते हैं तो "देअर" इसके साथ आप लगायेंगे तथा लगा सकते हैं। Grammatically this is correct. लेकिन जहां प्रोनाउन (pronoun) लगायेंगे तो वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मायने होंगे मेम्बर्स ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, न कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। इसलिए आगे गडबड हो जायगी।

श्री राज हिम्मतसिंह (वि० सं० ६१)—यू. पी. में भी लिखा हुआ है "their"।

श्री श्यामलाल गोयल—अगर यह समझा जाता है कि यह "their" ठीक है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा यह खयाल था कि "their" के बजाय "its" हो; तो मैं इसको विदड्रा withdraw करता हूं।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष—Is it the leave of the House to withdraw ?

(अनुमति प्रदान की गई)

Leave has been granted.

श्री श्यामलाल गोयल—मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं। Now I come to my second amendment.

द्वितीय संशोधन इस प्रकार है—

At the end of the sub-clause (2) add the following as sub-clause (2A):—

"If the Chairman fails to call a requisitioned meeting, the Vice-Chairman or one third of the whole number of members may call such meeting for a day not more than 42 days after the service or receipt of such requisition."

इस दफा में अधिकार दिया गया है मीटिंग बुलाने के लिये और इसमें एक तरफ यह रखा गया है कि यदि किसी कारण से मेम्बरान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यह चाहें कि बोर्ड की कोई मीटिंग हो तो पर्टिक्युलर नम्बर ऑफ मेम्बर्स उसको मीटिंग बुला सकते हैं। इतना ही कह कर यह धारा खत्म हो जाती है। इस धारा में इस बात का कोई प्रोविजन नहीं है कि चेयरमैन के

[श्री श्यामलाल गोयल]

पास एक रिक्विजिशन भेजी जाय कि मीटिंग रिक्विजीशन की जाय। इसके बाद में यदि २१ दिन तक मीटिंग कॉल नहीं की जाती है तो फिर क्या किया जाना चाहिये, इसका कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। यदि २१ दिन तक मीटिंग कॉल नहीं की गई तो उस सूरत में क्या किया जायगा ? जितने भी एक्ट देखे हैं उनमें प्रोविजन है और लाजमी प्रोविजन है कि जब हम कानून बनाते हैं तो हमें देखना है कि सदस्यों को मीटिंग रिक्विजीशन करने का अधिकार है और उसके तहत में यदि चेयरमेन मीटिंग रिक्विजीशन नहीं करता है तो मेम्बरों को यह अधिकार होना चाहिये कि वे मीटिंग कॉल कर सकते हैं और मीटिंग कॉल करने के बाद जिस विषय को मीटिंग में तय करना होता है उस विषय के बारे में बातचीत करके निर्णय कर सकते हैं। यदि प्रोविजन नहीं होगा तो चेयरमेन को बहुत वाइड पावर्स (wide powers) दे दिये जायेंगे। यह प्रोविजन यदि मन्जूर नहीं किया जाता है तो बहुत खामी रह जाती है और कोई सेन्स नहीं रह जाता इस कमी को पूरा करने के लिये इस संशोधन को मन्जूर कर लिया जाना चाहिये।

श्री जसवन्तसिंह–माननीय उपाध्यक्षजी, जब कि इस क्लॉज में चेयरमेन के लिये मेन्डेटरी हो गया है कि उसे २१ दिन के अन्दर अन्दर मीटिंग बुलानी पड़ेगी तो फिर उसके लिये यह रखना कि यदि वह मीटिंग नहीं बुलावे तो वाइस चेयरमेन मीटिंग बुलावे, ठीक नहीं है। जब कि मेन्डेटरी प्रोविजन (mandatory provision) है तो फिर इस अमेन्डमेन्ट की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

श्री जवानसिंह--इसके साथ ही साथ एक और निवेदन यह है कि अभी माननीय सदस्य ने, जिन्होंने कि अमेन्डमेन्ट मूव किया है, इस बात को रेफर किया है कि ऐसे कानून मौजूद हैं जिन में ऐसा प्रोविजन बताया गया है कि रिक्विजिशन्ड मीटिंग (requisitioned meeting) हो तो उसे बुलाना ही पड़ेगा परन्तु उन्होंने अपने स्टेटमेन्ट को सब्सटेन्शियेट (substantiate) नहीं किया है कि वे कौन से कानून हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे कानून सदन में पेश किये जायें।

श्री श्यामलाल गोयल--राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज एक्ट अभी मेरे पास नहीं है, उसकी दफा २६ देखी जाय तो आपको मालूम हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)--टाउन म्युनिसिपेलिटीज एक्ट यहां मौजूद है।

श्री श्यामलाल गोयल--राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज एक्ट, १९५१ की दफा २६ सब-सेक्शन (२) में यह लिखा है :--

"The Chairman may, whenever he thinks fit, and shall upon the written request of not less than one-third of the whole number of members and for a date not more than fifteen days after the presentation of such request, call a special general meeting. If the Chairman fails to call a special general meeting as

[श्री श्यामलाल गोयल]

provided in this sub-section, the Vice-chairman or one-third of the whole number of members may call such meeting for a day not more than thirty days after the presentation of such request."

तो यह धारा इस टाउन म्युनिसिपैलिटीज एक्ट में आलरेडी मौजूद है। यही सोचते हुए मैंने यह अमेन्डमेन्ट पेश किया है, वरना मीटिंग रिक्वीजिशन करने का कोई सेन्स नहीं रहता। हर रिक्विजिशन फेल हो जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—उपाध्यक्ष महोदय, श्री श्यामलालजी गोयल ने जो अमेण्डमेण्ट रखा है वह उस समय के लिये बहुत जरूरी है जिस वक्त बोर्ड का चेयरमेन अनयूजुवल कंडिशन्स (unusual conditions) में मीटिंग बुलाना मुनासिब नहीं समझता हो या कभी कमेटी के सदस्यों को मीटिंग बुलाने की आवश्यकता हो तो ऐसी सूरत में जब तक इसके लिये कोई प्रोविजन नहीं हो मेम्बर मीटिंग नहीं बुला सकते। यह सेक्शन ५१ में बड़ी भारी कमी है और इस कमी को दूर करने के लिये श्री गोयलजी ने जो एमेण्डमेण्ट रखा है वह बहुत जरूरी है। इस प्रकार का प्रोविजन राजस्थान टाउन म्युनिसिपैलिटीज एक्ट में भी है। वैसे ही यहां भी २१ दिन के बजाय ४२ दिन होने चाहिये और अगर दो तिहाई सदस्य बोर्ड की मीटिंग बुलाना चाहें तो वे बुला कर तमाम मामला बोर्ड के समक्ष रख सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह एमेन्डमेण्ट बहुत जरूरी है और इसे सरकार को स्वीकार करना चाहिये।

श्री हिम्मतसिंह—यू. पी. बोर्ड है क्या ?

श्री चन्दनमल वैद्य (उप-न्याय मंत्री)—इसको मंजूर करने के लिये मुझको कोई दिक्कत नहीं मालूम होती।

श्री उपाध्यक्ष—गवर्नमेण्ट ने इसको मंजूर कर लिया है; बाकी के सब-क्लोजेज (sub-clauses) पर कोई अमेण्डमेण्ट नहीं है।

श्री जवानसिंह—ओन ए पोइन्ट ओफ आडर, सर, मैं आपका ध्यान अभी अभी जो अमेण्डमेण्ट आपके समक्ष था और माननीय मंत्री ने उसको स्वीकार किया, उस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमने यह माना कि आपने अपनी पार्टी की तरफ से अमेण्डमेण्ट था उसको स्वीकार किया, वह तो ठीक किया मगर आप यदि उसके वर्डिंग्ज को अच्छी तरह से पढ़ते, तो आपको मालूम होता कि वर्डिंगज भी ठीक नहीं हैं। "For a day" के बजाय "on a day" होना चाहिये।

श्री चन्दनमल वैद्य (उप-न्याय मंत्री)—मैं आपकी बात मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—The question is that the amendment moved by Shri Goel in which for the words "for" be substituted by the word 'on be accepted.

Page No.77

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is that Clause 51, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 51, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

Clause 52.

(विराम)

The question is that Clause 52 be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 52 is added to the Bill.

(विराम)

चूंकि समय समाप्त हो गया है। इसलिये कल क्लॉज ५३ पर अमेण्डमेण्ट है वे लिये जावेंगे। आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

(सदन की कार्यवाही १२ बज कर ३० मिनिट पर बृहस्पतिवार, दिनांक १० सितम्बर, १९५३ के ८-३० प्रातः तक के लिये स्थगित हुई)।

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक ९ सितम्बर, १९५३

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

Page No.78

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो संबंधित सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये व जिनके प्रकाशित करने की संबंधित मंत्री महोदय की अनुमति है।)

७८ (११/एस. एम.) श्री रोशनलाल शर्मा (डिविजन नं० १३०)—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) उदयपुर जिले की खेरवाड़ा, कोटड़ा, फलासिया एवं सायरा तहसीलों में किन किन जलाशय का सर्वे हो चुका है ?

(२) प्रत्येक जलाशय से कितनी कितनी सिंचाई हो सकेगी ?

उत्तर—

(१) उदयपुर जिले की खेरवाड़ा, कोटड़ा, फलासिया एवं सायरा तहसीलों में निम्नलिखित जलाशयों का सर्वे हो चुका है :—

(क) खेरवाड़ा तहसील—इसमें वाकल प्रोजेक्ट है जिसका सर्वे तखमीना मंजूर हो चुका है। सर्वे का कार्य वर्षा ऋतु के पश्चात् हाथ में लिया जावेगा।

(ख) कोटड़ा व फलासिया तहसील—में कोई कार्य नहीं है।

(ग) सायरा तहसील—में नांदीसमा नामक जलाशय है, जिसका तखमीना तैयार किया जा रहा है।

(२) उपरोक्त दोनों जलाशयों (वाकल एवं नांदीसमा) से क्रमशः १०,००० एवं ३५० एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी।

८० (१२/एस. एम.) श्री रोशनलाल शर्मा (डिविजन नं० १३०)—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) रेलमगरा तहसील के भराई नाम का तालाब कितनी बार टूटा और इसके टूटने का क्या कारण था ?

(२) इस तालाब पर अभी तक कितनी रकम खर्च हुई है ?

उत्तर—

(१) रेलमगरा तहसील में भराई नामक तालाब, ऐसा कहा जाता है कि पहले नौ बार टूटा था। इसके टूटने का कारण वहां पर कल्लर यानी शोरेवाली काली मिट्टी है जिसका यह बंध शुरू में बना था।

(२) इस तालाब पर सन् ५० से अब तक कुल खर्चा ५७,६६६ रु. हुआ है।

Page No.79

८१, (१३/एल. एम.) श्री रोशनलाल शर्मा (डिविजन नं० ११०)—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) उदयपुर जिले की तहसील कोटडा, फलासिया, सायरा एवं खैरवाडा में सन् ५०-५१-५२-५३ में क्या कोई सिंचाई के लिये जलाशय बनाये गये हैं ?

(२) यदि हां, तो कौन कौन से और प्रत्येक से कितनी सिंचाई होती है ?

(३) अगर नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर—

(१) सन् ५०-५१-५२, व ५३ में तहसील खैरवाडा व फलासिया में हाथियों का नाके का व "नान्देशमा का" बारह हजार रुपयों का कार्य हुआ। इस साल (सन् ५३) में करीबन तीन लाख इकीस हजार का भूदर की पाल का कार्य चल रहा है। तहसील कोटडा सायरा पहाडी इलाका होने से कार्य बहुत महंगा पडता है जो आमद के लिहाज से फायदेमन्द साबित नहीं होता इसके अलावा इस इलाके में जाने आने का साधन पर्याप्त न होने से कोई सर्वे भी नहीं हो सका।

(२) तालाबान से करीबन चार सौ पचास एकड जमीन की पिलाई होगी।